



Office of
EXECUTIVE ENGINEER, SARKAGHAT DIVISION
Himachal Pradesh Public Works Department Sarkaghat
Ph. 019055- 230034, Fax: 230034, E-mail ee-sar-hp@nic.in

No.PW-SKT-WA-FOREST CASE/2025-
To

12209

Dated: - 08-1-2025

Deputy Conservator of Forests,
suket Forest Division,
Distt. Mandi(H.P.)

Subject: -

Diversion of 1.8272 ha. of forest land in favour of HPPWD for the construction of link road Chowk to Sandoa via Dharjoi Ropri Dhar Kms 0/00 to 4/810, within the jurisdictions of Suket Forest Division, District Mandi, H.P.

संदर्भ:-

भारत सरकार क्षेत्रीय कार्यालय ,चंडीगढ़ उप कार्यालय, शिमला / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय सी.जी.ओ. कॉम्प्लैक्स ,शिवालिक खंड, लौंगवुड शिमला, हिमाचल प्रदेश -171001 के पत्र क्र० सं० 8बी /एच .पी. बी /06/22/2021/एफ. सी 1/75261 दिनांक 24-06-2024 .

महोदय :-

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि भारत सरकार क्षेत्रीय कार्यालय ,चंडीगढ़ उप कार्यालय, शिमला / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय सी.जी.ओ. कॉम्प्लैक्स ,शिवालिक खंड, लौंगवुड शिमला, हिमाचल प्रदेश -171001 के पत्र क्र० सं० 8बी /एच .पी. बी /06/22/2021/एफ. सी 1/75261 दिनांक 24-06-2024 के माध्यम से निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति के क्रम में संदर्भित शर्तों की अनुपालन संख्या आपके सुलभ संदर्भ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत की जा रही है।

क्र० सं	सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्तें	मंजूर /नामंजूर
(A) वे शर्तें, जिनका राज्य वन विभाग द्वारा वन भूमि सौंपने से पहले अनुपालन करने की आवश्यकता है।		
i.	प्रयोक्ता एजेंसी से CA स्कीम के अनुसार प्रतिपूर्ति पौधारोपण की राशि जमा करवाई जाए।	प्रयोक्ता एजेंसी से CA स्कीम के अनुसार प्रतिपूर्ति पौधारोपण की राशि जमा करवा दी गयी है। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमती है। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र सलग्न है।

ii.	राज्य सरकार माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा WP (C) No. 202/1995 अंतर्गत दिनांक 08.02.2023 को जारी आदेशो की अनुपालना सुनिश्चित करेंगी।	राज्य सरकार माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा WP (C) No. 202/1995 अंतर्गत दिनांक 08.02.2023 को जारी आदेशो की अनुपालना को सुनिश्चित करेंगी। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमती है। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र सलग्न है।
iii.	WP (C) No. 202/1995, IA No. 566 में माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 30.10.2002, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के निर्देश संख्या 5-3/2011-FC (vol-1) दिनांक 06.01.2022 के अनुसार प्रयोक्ता एजेंसी से प्रस्तावित वन भूमि, 1.8272 हेक्टेयर की नैट प्रजेंट वैल्यु जमा करवाई जाये।	WP (C) No. 202/1995, IA No. 566 में माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 30.10.2002, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के निर्देश संख्या 5-3/2011-FC (vol-1) दिनांक 06.01.2022 के अनुसार प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा प्रस्तावित वन भूमि, 1.8272 हेक्टेयर की नैट प्रजेंट वैल्यु की धन राशी 18,36,720/- UTR No. RBI 3252440594363 दिनांक 19-11-2024 को ऑनलाइन चालान के माध्यम से CAMPA Fund में जमा कर दी गयी है। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमती है। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र सलग्न है।
iv.	प्रयोक्ता एजेंसी सभी भुगतान राशि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की वेबसाइट www.parivesh.nic.in पर केवल ऑनलाइन माध्यम से CAMPA Fund में जमा करवाएगी।	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा सभी भुगतान राशि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की वेबसाइट www.parivesh.nic.in पर 32,70,332/- UTR No. RBI 3252440594363 दिनांक 19-11-2024 को ऑनलाइन चालान के माध्यम से CAMPA Fund में जमा कर दी गयी है। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमती है। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र और ऑनलाइन चालान की कॉपी सलग्न है।
v.	पूर्ण अनुपालन रिपोर्ट e-portal (https://parivesh.nic.in/) में अपलोड की जाएगी।	पूर्ण अनुपालन रिपोर्ट e-portal (https://parivesh.nic.in/) में अपलोड कर दी जाएगी। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमती है। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र सलग्न है।

vi.	प्रयोक्ता एजेंसी को यह सुनिश्चित करना है कि प्रतिपूरक शुल्क (सीए लागत, एनपीवी, आदि) वेब पोर्टल पर ऑनलाइन उत्पन्न चालान के माध्यम से जमा किए जाते हैं और केवल उपयुक्त बैंक में जमा किए जाते हैं अन्य माध्यम से जमा की गई राशि को S-I clearance के अनुपालन के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा।	प्रयोक्ता एजेंसी यह सुनिश्चित करती है कि प्रतिपूरक शुल्क(सीए लागत, एनपीवी, आदि) की धन राशी UTR NO RBI3252440594363 के अंतर्गत दिनांक 19-11-2024 को 32,70,332/- वेब पोर्टल पर ऑनलाइन उत्पन्न चालान के माध्यम से ही जमा किया गया है। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमती है। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र और ऑनलाइन उत्पन्न चालान की कॉपी सलग्न है।
vii.	प्रयोक्ता एजेंसी यह सुनिश्चित करेगी कि संभाग में कोई अन्य प्रस्ताव, जिसके लिए S-I पहले ही स्वीकृत किया जा चुका है. S-I अनुमोदन की शर्तों के अनुपालन के लिए अभी भी लंबित नहीं है। इस आशय का एक वचन पत्र कि इस मंडल के पास S-I अनुमोदन की शर्तों के अनुपालन के लिए ऐसा कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है" प्रस्तुत किया जाए। इस कार्यालय द्वारा इस प्रस्ताव को अंतिम मंजूरी के लिए उसका अनुपालन अनिवार्य होगा।	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा यह सुनिश्चित किया गया है कि संभाग में कोई अन्य प्रस्ताव, जिसके लिए S-I पहले ही स्वीकृत किया जा चुका है, और S-I अनुमोदन की शर्तों के अनुपालन के लिए कोई भी लंबित नहीं है। इस आशय का एक वचन पत्र कि इस मंडल के पास S-I अनुमोदन की शर्तों के अनुपालन के लिए ऐसा कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है" यह प्रस्तुत किया गया। इस कार्यालय द्वारा इस प्रस्ताव को अंतिम मंजूरी के लिए उसका अनुपालन अनिवार्य होगा। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमती है। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र सलग्न है।
viii.	FRA 2006 का पूर्ण अनुपालन सम्बंधित जिला कलेक्टर द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र के द्वारा किया जाएगा।	FRA 2006 का पूर्ण अनुपालन सम्बंधित जिला कलेक्टर द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र पहले से ही अपलोड किया जा चुका है। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमती है। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र व ऑनलाइन चालन सलग्न है।
(B)	वे शर्तें, जिनका राज्य वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता एजेंसी को वन भूमि सौंपने के बाद फील्ड में कड़ाई से पालन करने की आवश्यकता है, परन्तु अंडरटेकिंग के रूप में अनुपालन स्टेज II- अनुमोदन से पहले प्रस्तुत किया जाना है: -	
i.	वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।	वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमती है। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र सलग्न है।

ii.	काटे जाने वाले बाधक वृक्षों /पौधों की संख्या किसी भी रूप में प्रस्ताव में दर्शायी गई संख्या से अधिक नहीं होगी और वृक्षों की कटाई के दौरान वन्यजीवों को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा।	काटे जाने वाले बाधक वृक्षों /पौधों की संख्या किसी भी रूप में प्रस्ताव में दर्शायी गई संख्या से अधिक नहीं होगी और वृक्षों की कटाई के दौरान वन्यजीवों को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमती है। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र सलग है।
iii.	राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित सीए योजना के अनुसार 3.6544 हे० के पौधारोपण का कार्य Survey No-OD210, Village-Gadahachh, Bandli Beat Trechh Block jhungi Forest Range, Suket Forest Division, Distt. Mandi, Himachal Pradesh पर सीए किया जाएगा और धन उपयोग कर्ता एजेंसी द्वारा प्रदान किया जाएगा। अनुमोदन जारी होने की तिथि से एक वर्ष के भीतर वृक्षारोपण किया जाएगा। यथासंभव, स्थानीय देशी प्रजाति मिश्रित रूप से रोपित किये जायेंगे एवं किसी भी प्रजाति का monoculture नहीं किया जाएगा।	राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित सीए योजना के अनुसार 3.6544 हे० वन भूमि Survey No-OD210, Village-Gadahachh, Bandli Beat Trechh Block jhungi Forest Range, Suket Forest Division, Distt. Mandi, Himachal Pradesh पर सीए द्वारा किया गया है और धन उपयोग कर्ता एजेंसी द्वारा प्रदान किया जा चुका है। अनुमोदन जारी होने की तिथि से एक वर्ष के भीतर वृक्षारोपण किया जाएगा। यथासंभव, स्थानीय देशी प्रजाति मिश्रित रूप से रोपित किये जायेंगे एवं किसी भी प्रजाति का monoculture नहीं किया जाएगा। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमती है। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र सलग है।
iv.	प्रस्तावित CA land, यदि राज्य वन विभाग के नाम है, तो उससे संबंधित दस्तावेज, अन्यथा, IFA 1927 के अंतर्गत, RF/PF में अधिसूचित करा कर, तत्संबंधित दस्तावेज, विधिवत स्वीकृति के पहले प्रस्तुत किया जाएगा।	यह सैधान्तिक स्वीकृति वन विभाग से सम्बन्धित है।
v.	राज्य सरकार वन भूमि को प्रयोक्ता एजेंसी को सौंपने से पहले FSI के ई-ग्रीन वॉच पोर्टल में प्रतिपूरक वन रोपण के लिए स्वीकृत degraded वन क्षेत्र की kml files को अपलोड करेगी।	यह सैधान्तिक स्वीकृति वन विभाग से सम्बन्धित है।
vi.	वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये गये उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिये नहीं किया जायेगा।	वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये गये उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिये नहीं किया गया है। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमती है। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र सलग है।

vii.	माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार, जब कभी भी NPV की राशि बढ़ाई जायेगी तो उस बढ़ी हुई NPV की राशि को जमा करने के लिए प्रयोक्ता एजेंसी बाध्य होगी और राज्य सरकार बढ़ी हुई राशि जमा कराना सुनिश्चित करेंगे।	माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार, जब कभी भी NPV की राशि बढ़ाई जायेगी तो उस बढ़ी हुई NPV की राशि को जमा करने के लिए प्रयोक्ता एजेंसी बाध्य होगी और राज्य सरकार बढ़ी हुई राशि जमा कराना सुनिश्चित किया जायेगा। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमती है। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र सलग्न है।
viii.	Soil and Moisture Conservation Plan along with detail cost of its implementation into the account of CAMPA is required to be submitted along with Stage-1 compliance. However, in cases where it is not possible for the State Govt. to submit the compliance due to delay in preparation of such Plan, a lump sum amount of 0.5% of the project cost shall be realized from the User Agency and submitted along with the Stage I compliance. The deficit amount, as per said Plan, if any, from the money already realized to the tune of 0.5% of project cost shall be deposited in the CAMPA account prior to actual working on the forest area. An undertaking to this effect shall be submitted	The Soil and Moisture Conservation Plan, a lump sum amount of 0.5% of the project cost has been deposited in CAMPA. An undertaking to this effect has been submitted/attached.
ix.	एवेन्यू वृक्षारोपण, सड़क के दोनों ओर व मध्य भाग पर आईआरसी विनिर्देश के अनुसार उपयोगकर्ता एजेंसी द्वारा किया जाएगा।	एवेन्यू वृक्षारोपण, सड़क के दोनों ओर व मध्य भाग पर आईआरसी विनिर्देश के अनुसार उपयोगकर्ता एजेंसी द्वारा किया जाएगा। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमती है। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र सलग्न है।
x.	स्थानान्तरण के लिए प्रस्तावित वन भूमि को केंद्रीय सरकार की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी परिस्थिति में किसी अन्य एजेंसी, विभाग या व्यक्ति विशेष को हस्तांतरित नहीं किया जायेगा।	स्थानान्तरण के लिए प्रस्तावित वन भूमि को केंद्रीय सरकार की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी परिस्थिति में किसी अन्य एजेंसी, विभाग या व्यक्ति विशेष को हस्तांतरित नहीं किया जायेगा। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमती है। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र सलग्न है।

xi.	केंद्रीय सरकार की अनुमति के बिना प्रस्ताव की ले आउट प्लान को बदला नहीं जायेगा।	केंद्रीय सरकार की अनुमति के बिना प्रस्ताव की ले आउट प्लान को नहीं बदला जायेगा। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमती है। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र सलग्न है।
xii.	वन भूमि पर किसी भी प्रकार का कोई श्रमिक शिविर नहीं लगाया जायेगा।	वन भूमि पर किसी भी प्रकार का कोई श्रमिक शिविर नहीं लगाया जायेगा। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमती है। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र सलग्न है।
xiii.	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वांछित भूमि संरक्षण पैमाने उपयोग किये जायेंगे, जिसके लिए प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वर्तमान दरों पर धन राशि उपलब्ध करायी जायेगी।	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वांछित भूमि संरक्षण पैमाने उपयोग किये जायेंगे, जिसके लिए प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वर्तमान दरों पर धन राशि उपलब्ध करायी गयी है। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमती है। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र सलग्न है।
xiv.	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया पथ नहीं बनाया जाएगा।	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया पथ नहीं बनाया जाएगा। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमती है। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र सलग्न है।
xv.	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा श्रमिकों तथा कार्यस्थल पर कार्यरत स्टाफ को अधिमानतः वैकल्पिक इंधन उपलब्ध करायेगी, ताकि साथ लगते वन क्षेत्र को किसी प्रकार के नुकसान तथा दबाव से बचाया जा सके।	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा श्रमिकों तथा कार्यस्थल पर कार्यरत स्टाफ को अधिमानतः वैकल्पिक इंधन उपलब्ध कराया जायेगा, ताकि साथ लगते वन क्षेत्र को किसी भी प्रकार के नुकसान से बचाया जा सके। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमती है। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र सलग्न है।
xvi.	प्रयोक्ता एजेंसी राज्य के मुख्य वन्य जीव संरक्षक द्वारा तैयार की गयी योजना के अनुसार उस क्षेत्र के वनस्पति और प्राणी समूह के संरक्षण तथा परिरक्षण में राज्य सरकार की सहायता करेगी।	प्रयोक्ता एजेंसी राज्य के मुख्य वन्य जीव संरक्षक द्वारा तैयार की गयी योजना के अनुसार उस क्षेत्र के वनस्पति और प्राणी समूह के संरक्षण तथा परिरक्षण में राज्य सरकार की सहायता की जाएगी। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमती है। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र सलग्न है।
xvii.	स्थानांतरित वन भूमि की सीमायें आगे तथा पीछे लिखे गये क्रम संख्या वाले 4 फीट ऊँचे सीमेंट के खम्बों द्वारा चिह्नित की जाएगी।	स्थानांतरित वन भूमि की सीमायें आगे तथा पीछे लिखे गये क्रम संख्या वाले 4 फीट ऊँचे सीमेंट के खम्बों द्वारा चिह्नित की जाएगी। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमती है। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र सलग्न है।

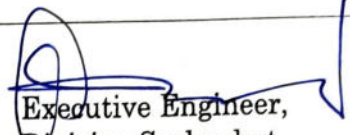
xviii.	संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में नियमित अंतराल पर सड़क के किनारे स्पीड रेगुलेटिंग साइनेज लगाए जाएंगे।	संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में नियमित अंतराल पर सड़क के किनारे स्पीड रेगुलेटिंग साइनेज लगाए जाएंगे। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमती है। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र सलग्न है।
xix.	प्रयोक्ता एजेंसी सीडब्ल्यूएलडब्ल्यू/एनबीडब्ल्यूएल/ एफएसी/ आरईसी की सिफारिशों के अनुसार संरक्षित क्षेत्र/वन क्षेत्र में उपयुक्त अंडर/ओवरपास उपलब्ध कराएगी।	प्रयोक्ता एजेंसी सीडब्ल्यूएलडब्ल्यू/एनबीडब्ल्यूएल/ एफएसी/ आरईसी की सिफारिशों के अनुसार संरक्षित क्षेत्र/वन क्षेत्र में उपयुक्त अंडर/ओवरपास उपलब्ध कराएगी। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमती है। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र सलग्न है।
xx.	यदि आवश्यक हो तो प्रयोक्ता एजेंसी पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986, के अनुसार पर्यावरण अनुमति प्राप्त करेगी।	यदि आवश्यक हो तो प्रयोक्ता एजेंसी पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986, के अनुसार पर्यावरण अनुमति प्राप्त करेगी। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमती है। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र सलग्न है।
xxi.	परियोजना निर्माण से उत्सर्जित मलवे का निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा केवल परियोजना स्थल पर ही किया जाएगा तथा इसके अलावा अन्यत्र मलवा नहीं फेंका जायेगा। मलबा निस्तारण स्थल पर दर्शाए गये वृक्षों का पतन नहीं किया जायेगा।	परियोजना निर्माण से उत्सर्जित मलवे का निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा केवल परियोजना स्थल पर ही किया जाएगा तथा इसके अलावा अन्यत्र मलवा नहीं फेंका जायेगा। मलबा निस्तारण स्थल पर दर्शाए गये वृक्षों का पतन नहीं किया जायेगा। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमती है। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र सलग्न है।
xxii.	इस प्रस्ताव को 99 वर्षों के लिए अनुमति प्रदान की जायेगी, इसके उपरांत पुनः यह अनुमति भारत सरकार से प्राप्त करनी होगी। इस अनुमोदन के तहत diversion की अवधि प्रयोक्ता एजेंसी के पक्ष में दी जाने वाली lease की अवधि या परियोजना की अवधि, जो भी कम हो, के सह-समाप्ति होगी।	इस प्रस्ताव को 99 वर्षों के लिए अनुमति प्रदान है, इसके उपरांत पुनः यह अनुमति भारत सरकार द्वारा प्राप्त की जाएगी। इस अनुमोदन के तहत diversion की अवधि प्रयोक्ता एजेंसी के पक्ष में दी जाने वाली lease की अवधि या परियोजना की अवधि, जो भी कम हो, के सह-समाप्ति होगी। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमती है। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र सलग्न है।
xxiii.	अन्य कोई भी शर्त इस क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा वन तथा वन्य जीवों के संरक्षण, सुरक्षा तथा विकास हेतु समय समय पर लगाई जा सकती है।	अन्य कोई भी शर्त इस क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा वन तथा वन्य जीवों के संरक्षण, सुरक्षा तथा विकास हेतु समय समय पर लगाई जाएगी। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमती है। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र सलग्न है।
xxiv.	यदि कोई अन्य सम्बंधित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार की जिम्मेवारी होगी।	यदि कोई अन्य सम्बंधित अधिनियम/ अनुच्छेद/ नियम/ न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार की जिम्मेवारी होगी। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमती है। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र सलग्न है।

xxv.

इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 और वन (संरक्षण एवं संवर्धन) नियम, 2023 में उल्लेखित दिशानिर्देश 1.16 के अनुसार कार्यवाही की जाएगी।

इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लंघन यदि होगा व पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 और वन (संरक्षण एवं संवर्धन) नियम, 2023 में उल्लेखित दिशानिर्देश 1.16 के अनुसार कार्यवाही आवश्य की जाएगी। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमती है। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र सलग्न है।

J/C R.R.
15/01


Executive Engineer,
Division Sarkaghat
HP.PWD.Sarkaghat

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

Subject:-

Diversion of 1.8272 ha. of forest land in favour of HPPWD for the construction of link road Chowk to Sandoa via Dharjoi Ropri Dhar Kms 0/00 to 4/810, within the jurisdictions of Suket Forest Division, District Mandi, H.P.

संदर्भ:-

भारत सरकार क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़ उप कार्यालय, शिमला / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय सी.जी.ओ. कॉम्प्लैक्स, शिवालिक खंड, लौंगवुड शिमला, हिमाचल प्रदेश -171001 के पत्र क्र० सं० 8बी/एच.पी.बी/06/22/2021/एफ.सी 1/75261 दिनांक 24-06-2024 ..

महोदय :-

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि भारत सरकार क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़ उप कार्यालय, शिमला / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय सी.जी.ओ. कॉम्प्लैक्स, शिवालिक खंड, लौंगवुड शिमला, हिमाचल प्रदेश -171001 के पत्र क्र० सं० 8बी/एच.पी.बी/06/22/2021/एफ.सी 1/75261 दिनांक 24-06-2024 के माध्यम से निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति के क्रम में संदर्भित शर्तों की अनुपालन संख्या आपके सुलभ संदर्भ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत की जा रही है।

क्र० सं	सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त	मंजूर /नामंजूर
(A)	वे शर्तें, जिनका राज्य वन विभाग द्वारा वन भूमि सौंपने से पहले अनुपालन करने की आवश्यकता है :-	
i.	प्रयोक्ता एजेंसी से CA स्कीम के अनुसार प्रतिपूर्ति पौधारोपण की राशि जमा करवाई जाए।	प्रयोक्ता एजेंसी से CA स्कीम के अनुसार प्रतिपूर्ति पौधारोपण की राशि जमा करवा दी गयी है। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमती है। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र सलग्न है।

Place:-

Date:-

C/r

Divisional Forest Officer
Suket Forest Division
Sundernagar (H.P.) - 175040

Executive Engineer,
Division Sarkaghat
HP.PWD.Sarkaghat

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

Subject:-

Diversion of 1.8272 ha. of forest land in favour of HPPWD for the construction of link road Chowk to Sandoa via Dharjoi Ropri Dhar Kms 0/00 to 4/810, within the jurisdictions of Suket Forest Division, District Mandi, H.P.

संदर्भ:-

भारत सरकार क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़ उप कार्यालय, शिमला / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय सी.जी.ओ. कॉम्प्लैक्स, शिवालिक खंड, लौंगवुड शिमला, हिमाचल प्रदेश -171001 के पत्र क्र० सं० 8बी /एच .पी. बी /06/22/2021/एफ. सी 1/75261 दिनांक 24-06-2024 .

महोदय :-

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि भारत सरकार क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़ उप कार्यालय, शिमला / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय सी.जी.ओ. कॉम्प्लैक्स, शिवालिक खंड, लौंगवुड शिमला, हिमाचल प्रदेश -171001 के पत्र क्र० सं० 8बी /एच .पी. बी /06/22/2021/एफ. सी 1/75261 दिनांक 24-06-2024 के माध्यम से निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति के क्रम में संदर्भित शर्तों की अनुपालन संख्या आपके सुलभ संदर्भ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत की जा रही है।

क्र० सं	सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त	मंजूर /नामंजूर
(A)	वे शर्तें, जिनका राज्य वन विभाग द्वारा वन भूमि सौंपने से पहले अनुपालन करने की आवश्यकता है :-	
ii.	राज्य सरकार माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा WP (C) No. 202/1995 अंतर्गत दिनांक 08.02.2023 को जारी आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित करेंगी।	राज्य सरकार माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा WP (C) No. 202/1995 अंतर्गत दिनांक 08.02.2023 को जारी आदेशों की अनुपालना को सुनिश्चित करेंगी। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र सलग्न है।


Executive Engineer,
Division Sarkaghat
HP.PWD.Sarkaghat

Place:- Sarkaghat

Date:-


Divisional Forest Officer
Suket Forest Division
Sundernagar (H.P.) - 175013

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

Subject:-

Diversion of 1.8272 ha. of forest land in favour of HPPWD for the construction of link road Chowk to Sandoa via Dharjoi Ropri Dhar Kms 0/00 to 4/810, within the jurisdictions of Suket Forest Division, District Mandi, H.P.

संदर्भ:-

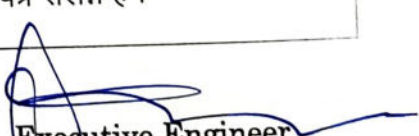
भारत सरकार क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़ उप कार्यालय, शिमला / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय सी.जी.ओ. कॉम्प्लैक्स, शिवालिक खंड, लौंगवुड शिमला, हिमाचल प्रदेश - 171001 के पत्र क्र० सं० 8बी / एच .पी. बी / 06/22/2021/एफ. सी 1/75261 दिनांक 24-06-2024 .

महोदय :-

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि कि भारत सरकार क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़ उप कार्यालय, शिमला / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय सी.जी.ओ. कॉम्प्लैक्स, शिवालिक खंड, लौंगवुड शिमला, हिमाचल प्रदेश - 171001 के पत्र क्र० सं० 8बी / एच .पी. बी / 06/22/2021/एफ. सी 1/75261 दिनांक 24-06-2024 के माध्यम से निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति के क्रम में संदर्भित शर्तों की अनुपालन संख्या आपके सुलभ संदर्भ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत की जा रही है।

क्र० सं	सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त	मंजूर / नामंजूर
(A)	वे शर्तें, जिनका राज्य वन विभाग द्वारा वन भूमि सौंपने से पहले अनुपालन करने की आवश्यकता है :-	
iii.	WP (C) No. 202/1995, IA No. 566 में माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 30.10.2002, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के निर्देश संख्या 5-3/2011-FC (vol-1) दिनांक 06.01.2022 के अनुसार प्रयोक्ता एजेंसी से प्रस्तावित वन भूमि, 1.8272 हेक्टेयर की नैट प्रजेंट वैल्यु जमा करवाई जाये।	WP (C) No. 202/1995, IA No. 566 में माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 30.10.2002, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के निर्देश संख्या 5-3/2011-FC (vol-1) दिनांक 06.01.2022 के अनुसार प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा प्रस्तावित वन भूमि, 1.8272 हेक्टेयर की नैट प्रजेंट वैल्यु की धन राशी 18,36,720/- UTR No. RBI 3252440594363 दिनांक 19-11-2024 को ऑनलाइन चालान के माध्यम से CAMPA Fund में जमा कर दी गयी है। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमती है। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र सलग्न है।


Divisional Forest Officer
Suket Forest Division
Sundernagar (H.P.) - 175013


Executive Engineer,
Division Sarkaghat
HP.PWD.Sarkaghat

Place:- Sarkaghat

Date:-

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

Subject:-

Diversion of 1.8272 ha. of forest land in favour of HPPWD for the construction of link road Chowk to Sandoa via Dharjoi Ropri Dhar Kms 0/00 to 4/810, within the jurisdictions of Suket Forest Division, District Mandi, H.P.

संदर्भ:-

भारत सरकार क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़ उप कार्यालय, शिमला / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय सी.जी.ओ. कॉम्प्लैक्स, शिवालिक खंड, लौंगवुड शिमला, हिमाचल प्रदेश -171001 के पत्र क्र० सं० 8बी /एच .पी. बी /06/22/2021/एफ. सी 1/75261 दिनांक 24-06-2024 .

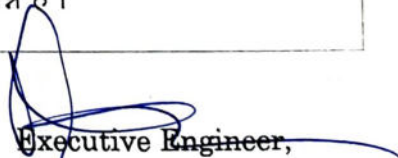
महोदय :-

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि कि भारत सरकार क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़ उप कार्यालय, शिमला / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय सी.जी.ओ. कॉम्प्लैक्स, शिवालिक खंड, लौंगवुड शिमला, हिमाचल प्रदेश -171001 के पत्र क्र० सं० 8बी /एच .पी. बी /06/22/2021/एफ. सी 1/75261 दिनांक 24-06-2024 के माध्यम से निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति के क्रम में संदर्भित शर्तों की अनुपालन संख्या आपके सुलभ संदर्भ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत की जा रही है।

क्र० सं	सैधान्तिक स्वीकृति की शर्त	मंजूर /नामंजूर
(A)	वे शर्तें, जिनका राज्य वन विभाग द्वारा वन भूमि सौंपने से पहले अनुपालन करने की आवश्यकता है :-	
iv.	प्रयोक्ता एजेंसी सभी भुगतान राशि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की वेबसाइट www.parivesh.nic.in पर केवल ऑनलाइन माध्यम से CAMPA Fund में जमा करवाएगी।	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा सभी भुगतान राशि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की वेबसाइट www.parivesh.nic.in पर 32,70,332/- UTR No. RBI 3252440594363 दिनांक 19-11-2024 को ऑनलाइन चालान के माध्यम से CAMPA Fund में जमा कर दी गयी है। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमती है। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र और ऑनलाइन चालान की कॉपी सलग्न है।

Place:- Sarkaghat
Date:-


Divisional Forest Officer
Suket Forest Division
Sundernagar (H.P.) - 175018


Executive Engineer,
Division Sarkaghat
HP.PWD.Sarkaghat

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

Subject:-

Diversion of 1.8272 ha. of forest land in favour of HPPWD for the construction of link road Chowk to Sandoa via Dharjoi Ropri Dhar Kms 0/00 to 4/810, within the jurisdictions of Suket Forest Division, District Mandi, H.P.

संदर्भ:-

भारत सरकार क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़ उप कार्यालय, शिमला / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय सी.जी.ओ. कॉम्प्लैक्स, शिवालिक खंड, लौंगवुड शिमला, हिमाचल प्रदेश -171001 के पत्र क्र० सं० 8बी /एच .पी. बी /06/22/2021/एफ. सी 1/75261 दिनांक 24-06-2024

महोदय :-

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि भारत सरकार क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़ उप कार्यालय, शिमला / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय सी.जी.ओ. कॉम्प्लैक्स, शिवालिक खंड, लौंगवुड शिमला, हिमाचल प्रदेश -171001 के पत्र क्र० सं० 8बी /एच .पी. बी /06/22/2021/एफ. सी 1/75261 दिनांक 24-06-2024 के माध्यम से निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति के क्रम में संदर्भित शर्तों की अनुपालन संख्या आपके सुलभ संदर्भ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत की जा रही है।

क्र० सं	सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त	मंजूर /नामंजूर
(A)	वे शर्तें, जिनका राज्य वन विभाग द्वारा वन भूमि सौंपने से पहले अनुपालन करने की आवश्यकता है :-	
v.	पूर्ण अनुपालन रिपोर्ट e-portal (https://parivesh.nic.in/) में अपलोड की जाएगी।	पूर्ण अनुपालन रिपोर्ट e-portal (https://parivesh.nic.in/) में अपलोड कर दी जाएगी। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमती है। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र सलग्न है।

Place:-

Date:-


Divisional Forest Officer
Suket Forest Division
Sundernagar (H.P.) - 175019


Executive Engineer,
Division Sarkaghat
HP.PWD.Sarkaghat

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

Subject:-

Diversion of 1.8272 ha. of forest land in favour of HPPWD for the construction of link road Chowk to Sandoa via Dharjoi Ropri Dhar Kms 0/00 to 4/810, within the jurisdictions of Suket Forest Division, District Mandi, H.P.

संदर्भ:-

भारत सरकार क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़ उप कार्यालय, शिमला / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय सी.जी.ओ. कॉम्प्लैक्स, शिवालिक खंड, लौंगवुड शिमला, हिमाचल प्रदेश -171001 के पत्र क्र० सं० 8बी /एच .पी. बी /06/22/2021/एफ. सी 1/75261 दिनांक 24-06-2024

महोदय :-

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि भारत सरकार क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़ उप कार्यालय, शिमला / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय सी.जी.ओ. कॉम्प्लैक्स, शिवालिक खंड, लौंगवुड शिमला, हिमाचल प्रदेश -171001 के पत्र क्र० सं० 8बी /एच .पी. बी /06/22/2021/एफ. सी 1/75261 दिनांक 24-06-2024 के माध्यम से निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति के क्रम में संदर्भित शर्तों की अनुपालन संख्या आपके सुलभ संदर्भ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत की जा रही है।

क्र० सं	सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त	मंजूर /नामंजूर
(A)	वे शर्तें, जिनका राज्य वन विभाग द्वारा वन भूमि सौंपने से पहले अनुपालन करने की आवश्यकता है :-	
vi.	प्रयोक्ता एजेंसी को यह सुनिश्चित करना है कि प्रतिपूरक शुल्क (सीए लागत, एनपीवी, आदि) वेब पोर्टल पर ऑनलाइन उत्पन्न चालान के माध्यम से जमा किए जाते हैं और केवल उपयुक्त बैंक में जमा किए जाते हैं अन्य माध्यम से जमा की गई राशि को S-I clearance के अनुपालन के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा।	प्रयोक्ता एजेंसी यह सुनिश्चित करती है कि प्रतिपूरक शुल्क(सीए लागत, एनपीवी, आदि) की धन राशी UTR NO RBI3252440594363 के अंतर्गत दिनांक 19-11-2024 को 32,70,332/- वेब पोर्टल पर ऑनलाइन उत्पन्न चालान के माध्यम से ही जमा किया गये हैं। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमती है। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र और ऑनलाइन उत्पन्न चालान की कॉपी सलग्न है।

CR

Divisional Forest Officer
Suket Forest Division
Sundernagar (H.P.) - 175018

Executive Engineer,
Division Sarkaghat
HP.PWD.Sarkaghat

Place:-

Date:-

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

Subject:-

Diversion of 1.8272 ha. of forest land in favour of HPPWD for the construction of link road Chowk to Sandoa via Dharjoi Ropri Dhar Kms 0/00 to 4/810, within the jurisdictions of Suket Forest Division, District Mandi, H.P.

संदर्भ:-

भारत सरकार क्षेत्रीय कार्यालय ,चंडीगढ़ उप कार्यालय, शिमला / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय सी.जी.ओ. कॉम्प्लैक्स ,शिवालिक खंड, लौंगवुड शिमला, हिमाचल प्रदेश -171001 के पत्र क्र० सं० 8बी /एच .पी. बी /06/22/2021/एफ. सी 1/75261 दिनांक 24-06-2024 .

महोदय :-

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि कि भारत सरकार क्षेत्रीय कार्यालय ,चंडीगढ़ उप कार्यालय, शिमला / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय सी.जी.ओ. कॉम्प्लैक्स ,शिवालिक खंड, लौंगवुड शिमला, हिमाचल प्रदेश -171001 के पत्र क्र० सं० 8बी /एच .पी. बी /06/22/2021/एफ. सी 1/75261 दिनांक 24-06-2024 के माध्यम से निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति के क्रम में संदर्भित शर्तों की अनुपालन संख्या आपके सुलभ संदर्भ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत की जा रही है।

क्र० सं	सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त	मंजूर /नामंजूर
(A)	वे शर्तें, जिनका राज्य वन विभाग द्वारा वन भूमि सौंपने से पहले अनुपालन करने की आवश्यकता है :-	
vii.	प्रयोक्ता एजेंसी यह सुनिश्चित करेगी कि संभाग में कोई अन्य प्रस्ताव, जिसके लिए S-I पहले ही स्वीकृत किया जा चुका है, S-I अनुमोदन की शर्तों के अनुपालन के लिए अभी भी लंबित नहीं है। इस आशय का एक वचन पत्र कि "इस मंडल के पास" S-I अनुमोदन की शर्तों के अनुपालन के लिए ऐसा कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है" प्रस्तुत किया जाए। इस कार्यालय द्वारा इस प्रस्ताव की अंतिम मंजूरी के लिए उसका अनुपालन अनिवार्य होगा।	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा यह सुनिश्चित किया गया है कि संभाग में कोई अन्य प्रस्ताव, जिसके लिए S-I पहले ही स्वीकृत किया जा चुका है, S-I अनुमोदन की शर्तों के अनुपालन के लिए अभी भी लंबित नहीं है। इस आशय का एक वचन पत्र कि "इस मंडल के पास" S-I अनुमोदन की शर्तों के अनुपालन के लिए ऐसा कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है" प्रस्तुत किया जा चुका है। इस कार्यालय द्वारा इस प्रस्ताव की अंतिम मंजूरी के लिए उसका अनुपालन अनिवार्य है। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।

C/r

Divisional Forest Officer
Suket Forest Division
Sundernagar (H.P.) - 175018

Executive Engineer,
Division Sarkaghat
HP.PWD.Sarkaghat

Place:- Sarkaghat

Date:-

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

Subject:-

Diversion of 1.8272 ha. of forest land in favour of HPPWD for the construction of link road Chowk to Sandoa via Dharjoi Ropri Dhar Kms 0/00 to 4/810, within the jurisdictions of Suket Forest Division, District Mandi, H.P.

संदर्भ:-

भारत सरकार क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़ उप कार्यालय, शिमला / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय सी.जी.ओ. कॉम्प्लैक्स, शिवालिक खंड, लौंगवुड शिमला, हिमाचल प्रदेश -171001 के पत्र क्र० सं० 8बी /एच .पी. बी /06/22/2021/एफ. सी 1/75261 दिनांक 24-06-2024 .

महोदय :-

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि कि भारत सरकार क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़ उप कार्यालय, शिमला / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय सी.जी.ओ. कॉम्प्लैक्स, शिवालिक खंड, लौंगवुड शिमला, हिमाचल प्रदेश -171001 के पत्र क्र० सं० 8बी /एच .पी. बी /06/22/2021/एफ. सी 1/75261 दिनांक 24-06-2024 के माध्यम से निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति के क्रम में संदर्भित शर्तों की अनुपालन संख्या आपके सुलभ संदर्भ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत की जा रही है।

क्र० सं	सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त	मंजूर /नामंजूर
(A)	वे शर्तें, जिनका राज्य वन विभाग द्वारा वन भूमि सौंपने से पहले अनुपालन करने की आवश्यकता है :-	
viii	FRA 2006 का पूर्ण अनुपालन सम्बंधित जिला कलेक्टर द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र के द्वारा किया जाएगा।	FRA 2006 का पूर्ण अनुपालन सम्बंधित जिला कलेक्टर द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र पहले से ही अपलोड किया जा चुका है । इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमती है। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र व ऑनलाइन चालन सलग्न है।

C/S

Divisional Forest Officer
Suket Forest Division
Sundernagar (H.P.) - 175018

Executive Engineer,
Division Sarkaghat
HP.PWD.Sarkaghat

Place:- Sarkaghat

Date:-

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

Subject: -

Diversion of 1.8272 ha. of forest land in favour of HPPWD for the construction of link road Chowk to Sandoa via Dharjoi Ropri Dhar Kms 0/00 to 4/810, within the jurisdictions of Suket Forest Division, District Mandi, H.P

संदर्भ:-

भारत सरकार क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़ उप कार्यालय, शिमला / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय सी.जी.ओ. कॉम्प्लैक्स, शिवालिक खंड, लौंगवुड शिमला, हिमाचल प्रदेश -171001 के पत्र क्र० सं० 8बी /एच .पी. बी /06/22/2021/एफ. सी 1/75261 दिनांक 24-06-2024 .

महोदय :-

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि कि भारत सरकार क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़ उप कार्यालय, शिमला / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय सी.जी.ओ. कॉम्प्लैक्स, शिवालिक खंड, लौंगवुड शिमला, हिमाचल प्रदेश -171001 के पत्र क्र० सं० 8बी /एच .पी. बी /06/22/2021/एफ. सी 1/75261 दिनांक 24-06-2024 के माध्यम से निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति के क्रम में संदर्भित शर्तों की अनुपालन संख्या आपके सुलभ संदर्भ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत की जा रही है ।

क्र० सं	सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त	मंजूर /नामंजूर
(B)	वे शर्तें, जिनका राज्य वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता एजेंसी को वन भूमि सौंपने के बाद फील्ड में कड़ाई से पालन करने की आवश्यकता हैं, परन्तु अंडरटेकिंग के रूप में अनुपालन स्टेज ॥ अनुमोदन-से पहले किया प्रस्तुत किया जाना है: -	
ii.	काटे जाने वाले बाधक वृक्षों /पौधों की संख्या किसी भी रूप में प्रस्ताव में दर्शायी गई संख्या से अधिक नहीं होगी और वृक्षों की कटाई के दौरान वन्यजीवों को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा।	काटे जाने वाले बाधक वृक्षों /पौधों की संख्या किसी भी रूप में प्रस्ताव में दर्शायी गई संख्या से अधिक नहीं होगी और वृक्षों की कटाई के दौरान वन्यजीवों को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र सलग्न है।

Place:- Sarkaghat

Date:

C/S
Divisional Forest Officer
Suket Forest Division
Sundernagar (H.P.) - 175013

[Signature]
Executive Engineer,
Division Sarkaghat
HP.PWD.Sarkaghat

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

Subject:-

Diversion of 1.8272 ha. of forest land in favour of HPPWD for the construction of link road Chowk to Sandoa via Dharjoi Ropri Dhar Kms 0/00 to 4/810, within the jurisdictions of Suket Forest Division, District Mandi, H.P

संदर्भ:-

भारत सरकार क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़ उप कार्यालय, शिमला / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय सी.जी.ओ. कॉम्प्लैक्स, शिवालिक खंड, लौंगवुड शिमला, हिमाचल प्रदेश -171001 के पत्र क्र० सं० 8बी /एच .पी. बी /06/22/2021/एफ. सी 1/75261 दिनांक 24-06-2024 .

महोदय :-

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि कि भारत सरकार क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़ उप कार्यालय, शिमला / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय सी.जी.ओ. कॉम्प्लैक्स, शिवालिक खंड, लौंगवुड शिमला, हिमाचल प्रदेश -171001 के पत्र क्र० सं० 8बी /एच .पी. बी /06/22/2021/एफ. सी 1/75261 दिनांक 24-06-2024 के माध्यम से निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति के क्रम में संदर्भित शर्तों की अनुपालन संख्या आपके सुलभ संदर्भ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत की जा रही है।

क्र० सं	सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त	मंजूर /नामंजूर
(B)	वे शर्तें, जिनका राज्य वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता एजेंसी को वन भूमि सौंपने के बाद फील्ड में कड़ाई से पालन करने की आवश्यकता है, परन्तु अंडरटेकिंग के रूप में अनुपालन स्टेज ॥ अनुमोदन-से पहले किया प्रस्तुत किया जाना है: -	
iii.	राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित सीए योजना के अनुसार 3.6544 हे० के पौधारोपण का कार्य Survey No- OD210, Village-Gadahachh, Bandli Beat Trechh Block jhungi Forest Range, Suket Forest Division, Distt. Mandi, Himachal Pradesh पर सीए किया जाएगा और धन उपयोग कर्ता एजेंसी द्वारा प्रदान किया जाएगा। अनुमोदन जारी होने की तिथि से एक वर्ष के भीतर वृक्षारोपण किया जाएगा। यथासंभव, स्थानीय देशी प्रजाति मिश्रित रूप से रोपित किये जायेंगे एवं किसी भी प्रजाति का monoculture नहीं किया जाएगा।	राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित सीए योजना के अनुसार 3.6544 हे० वन भूमि Survey No- OD210, Village-Gadahachh, Bandli Beat Trechh Block jhungi Forest Range, Suket Forest Division, Distt. Mandi, Himachal Pradesh पर सीए द्वारा किया गया है और धन उपयोग कर्ता एजेंसी द्वारा प्रदान किया जा चुका है। अनुमोदन जारी होने की तिथि से एक वर्ष के भीतर वृक्षारोपण किया जाएगा। यथासंभव, स्थानीय देशी प्रजाति मिश्रित रूप से रोपित किये जायेंगे एवं किसी भी प्रजाति का monoculture नहीं किया जाएगा। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमती है। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र सलग्न है।

9/8
Divisional Forest Officer
Suket Forest Division
Sundernagar (H.P.) - 175018

Executive Engineer,
Division Sarkaghat
HP.PWD.Sarkaghat

Place:- Sarkaghat

Date:-

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

Subject:-

Diversion of 1.8272 ha. of forest land in favour of HPPWD for the construction of link road Chowk to Sandoa via Dharjoi Ropri Dhar Kms 0/00 to 4/810, within the jurisdictions of Suket Forest Division, District Mandi, H.P

संदर्भ:-

भारत सरकार क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़ उप कार्यालय, शिमला / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय सी.जी.ओ. कॉम्प्लैक्स, शिवालिक खंड, लौंगवुड शिमला, हिमाचल प्रदेश -171001 के पत्र क्र० सं० 8बी /एच .पी. बी /06/22/2021/एफ. सी 1/75261 दिनांक 24-06-2024 .

महोदय :-

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि भारत सरकार क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़ उप कार्यालय, शिमला / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय सी.जी.ओ. कॉम्प्लैक्स, शिवालिक खंड, लौंगवुड शिमला, हिमाचल प्रदेश -171001 के पत्र क्र० सं० 8बी /एच .पी. बी /06/22/2021/एफ. सी 1/75261 दिनांक 24-06-2024 के माध्यम से निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति के क्रम में संदर्भित शर्तों की अनुपालन संख्या आपके सुलभ संदर्भ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत की जा रही है।

क्र० सं	सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त	मंजूर /नामंजूर
(B)	वे शर्तें, जिनका राज्य वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता एजेंसी को वन भूमि सौंपने के बाद फील्ड में कड़ाई से पालन करने की आवश्यकता हैं, परन्तु अंडरटेकिंग के रूप में अनुपालन स्टेज ॥ अनुमोदन-से पहले किया प्रस्तुत किया जाना है: -	
iv.	प्रस्तावित CA land, यदि राज्य वन विभाग के नाम है, तो उससे संबंधित दस्तावेज, अन्यथा, IFA 1927 के अंतर्गत, RF/PF में अधिसूचित करा कर, ततसंबंधित दस्तावेज, विधिवत स्वीकृति के पहले प्रस्तुत किया जाएगा।	यह सैद्धान्तिक स्वीकृति वन विभाग से सम्बन्धित है।

Place:- Sarkaghat
Date:-


Divisional Forest Officer
Suket Forest Division
Sundernagar (H.P.) - 175018


Executive Engineer,
Division Sarkaghat
HP.PWD.Sarkaghat

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

Subject: -

Diversion of 1.8272 ha. of forest land in favour of HPPWD for the construction of link road Chowk to Sandoa via Dharjoi Ropri Dhar Kms 0/00 to 4/810, within the jurisdictions of Suket Forest Division, District Mandi, H.P

संदर्भ:-

भारत सरकार क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़ उप कार्यालय, शिमला / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय सी.जी.ओ. कॉम्पलैक्स, शिवालिक खंड, लौंगवुड शिमला, हिमाचल प्रदेश -171001 के पत्र क्र० सं० 8बी /एच .पी. बी /06/22/2021/एफ. सी 1/75261 दिनांक 24-06-2024 .

महोदय :-

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि कि भारत सरकार क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़ उप कार्यालय, शिमला / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय सी.जी.ओ. कॉम्पलैक्स, शिवालिक खंड, लौंगवुड शिमला, हिमाचल प्रदेश -171001 के पत्र क्र० सं० 8बी /एच .पी. बी /06/22/2021/एफ. सी 1/75261 दिनांक 24-06-2024 के माध्यम से निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति के क्रम में संदर्भित शर्तों की अनुपालन संख्या आपके सुलभ संदर्भ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत की जा रही है।

क्र० सं	सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त	मंजूर /नामंजूर
(B)	वे शर्तें, जिनका राज्य वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता एजेंसी को वन भूमि सौंपने के बाद फील्ड में कड़ाई से पालन करने की आवश्यकता हैं, परन्तु अंडरटेकिंग के रूप में अनुपालन स्टेज ॥ अनुमोदन-से पहले किया प्रस्तुत किया जाना है: -	
v.	राज्य सरकार वन भूमि को प्रयोक्ता एजेंसी को सौंपने से पहले FSI के ई-ग्रीन वॉच पोर्टल में प्रतिपूरक वन रोपण के लिए स्वीकृत degraded वन क्षेत्र की kml files को अपलोड करेगी।	यह सैद्धान्तिक स्वीकृति वन विभाग से सम्बन्धित है।

Place:- Sarkaghat

Date:-


Divisional Forest Officer
Suket Forest Division
Sundemagar (H.P.) - 175018


Executive Engineer,
Division Sarkaghat
HP.PWD.Sarkaghat

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

Subject:-

Diversion of 1.8272 ha. of forest land in favour of HPPWD for the construction of link road Chowk to Sandoa via Dharjoi Ropri Dhar Kms 0/00 to 4/810, within the jurisdictions of Suket Forest Division, District Mandi, H.P

संदर्भ:-

भारत सरकार क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़ उप कार्यालय, शिमला / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय सी.जी.ओ. कॉम्प्लैक्स, शिवालिक खंड, लौंगवुड शिमला, हिमाचल प्रदेश -171001 के पत्र क्र० सं० 8बी /एच .पी. बी /06/22/2021/एफ. सी 1/75261 दिनांक 24-06-2024 .

महोदय :-

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि कि भारत सरकार क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़ उप कार्यालय, शिमला / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय सी.जी.ओ. कॉम्प्लैक्स, शिवालिक खंड, लौंगवुड शिमला, हिमाचल प्रदेश -171001 के पत्र क्र० सं० 8बी /एच .पी. बी /06/22/2021/एफ. सी 1/75261 दिनांक 24-06-2024 के माध्यम से निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति के क्रम में संदर्भित शर्तों की अनुपालन संख्या आपके सुलभ संदर्भ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत की जा रही है।

क्र० सं	सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त	मंजूर /नामंजूर
(B)	वे शर्तें, जिनका राज्य वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता एजेंसी को वन भूमि सौंपने के बाद फील्ड में कड़ाई से पालन करने की आवश्यकता हैं, परन्तु अंडरटेकिंग के रूप में अनुपालन स्टेज II अनुमोदन-से पहले किया प्रस्तुत किया जाना है: -	
vi.	वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये गये उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिये नहीं किया जायेगा।	वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये गये उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिये नहीं किया गया है। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमती है। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र सलग्न है।

C/

Divisional Forest Officer
Suket Forest Division
Sundernagar (H.P.) - 175018

Executive Engineer,
Division Sarkaghat
HP.PWD.Sarkaghat

Place:- Sarkaghat

Date:-

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

Subject: -

Diversion of 1.8272 ha. of forest land in favour of HPPWD for the construction of link road Chowk to Sandoa via Dharjoi Ropri Dhar Kms 0/00 to 4/810, within the jurisdictions of Suket Forest Division, District Mandi, H.P

संदर्भ:-

भारत सरकार क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़ उप कार्यालय, शिमला / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय सी.जी.ओ. कॉम्प्लैक्स, शिवालिक खंड, लौंगवुड शिमला, हिमाचल प्रदेश -171001 के पत्र क्र० सं० 8बी /एच.पी. बी /06/22/2021/एफ. सी 1/75261 दिनांक 24-06-2024 .

महोदय :-

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि कि भारत सरकार क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़ उप कार्यालय, शिमला / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय सी.जी.ओ. कॉम्प्लैक्स, शिवालिक खंड, लौंगवुड शिमला, हिमाचल प्रदेश -171001 के पत्र क्र० सं० 8बी /एच.पी. बी /06/22/2021/एफ. सी 1/75261 दिनांक 24-06-2024 के माध्यम से निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति के क्रम में संदर्भित शर्तों की अनुपालन संख्या आपके सुलभ संदर्भ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत की जा रही है।

क्र० सं	सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त	मंजूर /नामंजूर
(B)	वे शर्तें, जिनका राज्य वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता एजेंसी को वन भूमि सौंपने के बाद फील्ड में कड़ाई से पालन करने की आवश्यकता है, परन्तु अंडरटेकिंग के रूप में अनुपालन स्टेज ॥ अनुमोदन-से पहले किया प्रस्तुत किया जाना है: -	
vii.	माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार, जब कभी भी NPV की राशि बढ़ाई जायेगी तो उस बढ़ी हुई NPV की राशि को जमा करने के लिए प्रयोक्ता एजेंसी बाध्य होगी और राज्य सरकार बढ़ी हुई राशि जमा कराना सुनिश्चित करेंगे।	माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार, जब कभी भी NPV की राशि बढ़ाई जायेगी तो उस बढ़ी हुई NPV की राशि को जमा करने के लिए प्रयोक्ता एजेंसी बाध्य होगी और राज्य सरकार बढ़ी हुई राशि जमा कराना सुनिश्चित किया जायेगा। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमती है। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र सलग्न है।


Divisional Forest Officer
Suket Forest Division
Sundernagar (H.P.) - 175018


Executive Engineer,
Division Sarkaghat
HP.PWD.Sarkaghat

Place:- Sarkaghat

Date:-

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

Subject: -

Diversion of 1.8272 ha. of forest land in favour of HPPWD for the construction of link road Chowk to Sandoa via Dharjoi Ropri Dhar Kms 0/00 to 4/810, within the jurisdictions of Suket Forest Division, District Mandi, H.P

संदर्भ:-

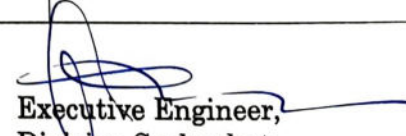
भारत सरकार क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़ उप कार्यालय, शिमला / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय सी.जी.ओ. कॉम्प्लैक्स, शिवालिक खंड, लौंगवुड शिमला, हिमाचल प्रदेश -171001 के पत्र क्र० सं० 8बी /एच .पी. बी /06/22/2021/एफ. सी 1/75261 दिनांक 24-06-2024 .

महोदय :-

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि कि भारत सरकार क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़ उप कार्यालय, शिमला / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय सी.जी.ओ. कॉम्प्लैक्स, शिवालिक खंड, लौंगवुड शिमला, हिमाचल प्रदेश -171001 के पत्र क्र० सं० 8बी /एच .पी. बी /06/22/2021/एफ. सी 1/75261 दिनांक 24-06-2024 के माध्यम से निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति के क्रम में संदर्भित शर्तों की अनुपालन संख्या आपके सुलभ संदर्भ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत की जा रही है।

क्र० सं	सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त	मंजूर /नामंजूर
(B)	वे शर्तें, जिनका राज्य वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता एजेंसी को वन भूमि सौंपने के बाद फील्ड में कड़ाई से पालन करने की आवश्यकता हैं, परन्तु अंडरटेकिंग के रूप में अनुपालन स्टेज II अनुमोदन-से पहले किया प्रस्तुत किया जाना है: -	
viii.	Soil and Moisture Conservation Plan along with detail cost of its implementation into the account of CAMPA is required to be submitted along with Stage-1 compliance. However, in cases where it is not possible for the State Govt. to submit the compliance due to delay in preparation of such Plan, a lump sum amount of 0.5% of the project cost shall be realized from the User Agency and submitted along with the Stage I compliance. The deficit amount, as per said Plan, if any, from the money already realized to the tune of 0.5% of project cost shall be deposited in the CAMPA account prior to actual working on the forest area. An undertaking to this effect shall be submitted	The Soil and Moisture Conservation Plan, a lump sum amount of 0.5% of the project cost has been deposited in CAMPA. An undertaking to this effect has been submitted/attached.


Divisional Forest Officer
Suket Forest Division
Sundernagar (H.P.) - 175013


Executive Engineer,
Division Sarkaghat
HP.PWD.Sarkaghat

Place:- Sarkaghat

Date:-

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

Subject: -

Diversion of 1.8272 ha. of forest land in favour of HPPWD for the construction of link road Chowk to Sandoa via Dharjoi Ropri Dhar Kms 0/00 to 4/810, within the jurisdictions of Suket Forest Division, District Mandi, H.P

संदर्भ:-

भारत सरकार क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़ उप कार्यालय, शिमला / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय सी.जी.ओ. कॉम्प्लैक्स, शिवालिक खंड, लौंगवुड शिमला, हिमाचल प्रदेश -171001 के पत्र क्र० सं० 8बी /एच .पी. बी /06/22/2021/एफ. सी 1/75261 दिनांक 24-06-2024 .

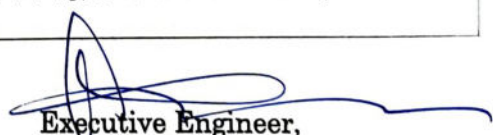
महोदय :-

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि कि भारत सरकार क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़ उप कार्यालय, शिमला / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय सी.जी.ओ. कॉम्प्लैक्स, शिवालिक खंड, लौंगवुड शिमला, हिमाचल प्रदेश -171001 के पत्र क्र० सं० 8बी /एच .पी. बी /06/22/2021/एफ. सी 1/75261 दिनांक 24-06-2024 के माध्यम से निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति के क्रम में संदर्भित शर्तों की अनुपालन संख्या आपके सुलभ संदर्भ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत की जा रही है।

क्र० सं	सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त	मंजूर /नामंजूर
(B)	वे शर्तें, जिनका राज्य वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता एजेंसी को वन भूमि सौंपने के बाद फील्ड में कड़ाई से पालन करने की आवश्यकता हैं, परन्तु अंडरटेकिंग के रूप में अनुपालन स्टेज ॥ अनुमोदन-से पहले किया प्रस्तुत किया जाना है: -	
ix.	एवेन्यू वृक्षारोपण, सड़क के दोनों ओर व मध्य भाग पर आईआरसी विनिर्देश के अनुसार उपयोगकर्ता एजेंसी द्वारा किया जाएगा।	एवेन्यू वृक्षारोपण, सड़क के दोनों ओर व मध्य भाग पर आईआरसी विनिर्देश के अनुसार उपयोगकर्ता एजेंसी द्वारा किया जाएगा। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमती है। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र सलग्न है।

Place:- Sarkaghat
Date:-


Divisional Forest Officer
Suket Forest Division
Sundernagar (H.P.) - 175013


Executive Engineer,
Division Sarkaghat
HP.PWD.Sarkaghat

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

Subject: -

Diversion of 1.8272 ha. of forest land in favour of HPPWD for the construction of link road Chowk to Sandoa via Dharjoi Ropri Dhar Kms 0/00 to 4/810, within the jurisdictions of Suket Forest Division, District Mandi, H.P

संदर्भ:-

भारत सरकार क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़ उप कार्यालय, शिमला / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय सी.जी.ओ. कॉम्प्लैक्स, शिवालिक खंड, लौंगवुड शिमला, हिमाचल प्रदेश -171001 के पत्र क्र० सं० 8बी /एच.पी. बी /06/22/2021/एफ. सी 1/75261 दिनांक 24-06-2024 .

महोदय :-

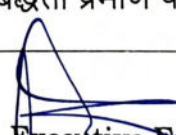
उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि कि भारत सरकार क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़ उप कार्यालय, शिमला / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय सी.जी.ओ. कॉम्प्लैक्स, शिवालिक खंड, लौंगवुड शिमला, हिमाचल प्रदेश -171001 के पत्र क्र० सं० 8बी /एच.पी. बी /06/22/2021/एफ. सी 1/75261 दिनांक 24-06-2024 के माध्यम से निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति के क्रम में संदर्भित शर्तों की अनुपालन संख्या आपके सुलभ संदर्भ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत की जा रही है।

क्र० सं	सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त	मंजूर /नामंजूर
(B)	वे शर्तें, जिनका राज्य वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता एजेंसी को वन भूमि सौंपने के बाद फील्ड में कड़ाई से पालन करने की आवश्यकता हैं, परन्तु अंडरटेकिंग के रूप में अनुपालन स्टेज ॥ अनुमोदन-से पहले किया प्रस्तुत किया जाना है: -	
x.	स्थानान्तरण के लिए प्रस्तावित वन भूमि को केंद्रीय सरकार की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी परिस्थिति में किसी अन्य एजेंसी, विभाग या व्यक्ति विशेष को हस्तांतरित नहीं किया जायेगा।	स्थानान्तरण के लिए प्रस्तावित वन भूमि को केंद्रीय सरकार की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी परिस्थिति में किसी अन्य एजेंसी, विभाग या व्यक्ति विशेष को हस्तांतरित नहीं किया जायेगा। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमती है। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र सलग्न है।

Place:- Sarkaghat

Date:-


Divisional Forest Officer
Suket Forest Division
Sundernagar (H.P.) - 175019


Executive Engineer,
Division Sarkaghat
HP.PWD.Sarkaghat

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

Subject:-

Diversion of 1.8272 ha. of forest land in favour of HPPWD for the construction of link road Chowk to Sandoa via Dharjoi Ropri Dhar Kms 0/00 to 4/810, within the jurisdictions of Suket Forest Division, District Mandi, H.P

संदर्भ:-

भारत सरकार क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़ उप कार्यालय, शिमला / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय सी.जी.ओ. कॉम्प्लैक्स, शिवालिक खंड, लौंगवुड शिमला, हिमाचल प्रदेश -171001 के पत्र क्र० सं० 8बी /एच .पी. बी /06/22/2021/एफ. सी 1/75261 दिनांक 24-06-2024 .

महोदय :-

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि कि भारत सरकार क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़ उप कार्यालय, शिमला / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय सी.जी.ओ. कॉम्प्लैक्स, शिवालिक खंड, लौंगवुड शिमला, हिमाचल प्रदेश -171001 के पत्र क्र० सं० 8बी /एच .पी. बी /06/22/2021/एफ. सी 1/75261 दिनांक 24-06-2024 के माध्यम से निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति के क्रम में संदर्भित शर्तों की अनुपालन संख्या आपके सुलभ संदर्भ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत की जा रही है।

क्र० सं	सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त	मंजूर /नामंजूर
(B)	वे शर्तें, जिनका राज्य वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता एजेंसी को वन भूमि सौंपने के बाद फील्ड में कड़ाई से पालन करने की आवश्यकता है, परन्तु अंडरटेकिंग के रूप में अनुपालन स्टेज II अनुमोदन-से पहले किया प्रस्तुत किया जाना है: -	
xi.	केंद्रीय सरकार की अनुमति के बिना प्रस्ताव की ले आउट प्लान को बदला नहीं जायेगा।	केंद्रीय सरकार की अनुमति के बिना प्रस्ताव की ले आउट प्लान को नहीं बदला जायेगा। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमती है। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र सलग्न है।

Place:- Sarkaghat
Date:-

CR
Divisional Forest Officer
Suket Forest Division
Sundernagar (H.P.) - 175013

Executive Engineer,
Division Sarkaghat
HP.PWD.Sarkaghat

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

Subject:-

Diversion of 1.8272 ha. of forest land in favour of HPPWD for the construction of link road Chowk to Sandoa via Dharjoi Ropri Dhar Kms 0/00 to 4/810, within the jurisdictions of Suket Forest Division, District Mandi, H.P

संदर्भ:-

भारत सरकार क्षेत्रीय कार्यालय ,चंडीगढ़ उप कार्यालय, शिमला / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय सी.जी.ओ. कॉम्प्लैक्स ,शिवालिक खंड, लौंगवुड शिमला, हिमाचल प्रदेश -171001 के पत्र क्र० सं० 8बी /एच .पी. बी /06/22/2021/एफ. सी 1/75261 दिनांक 24-06-2024 .

महोदय :-

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि कि भारत सरकार क्षेत्रीय कार्यालय ,चंडीगढ़ उप कार्यालय, शिमला / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय सी.जी.ओ. कॉम्प्लैक्स ,शिवालिक खंड, लौंगवुड शिमला, हिमाचल प्रदेश -171001 के पत्र क्र० सं० 8बी /एच .पी. बी /06/22/2021/एफ. सी 1/75261 दिनांक 24-06-2024 के माध्यम से निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति के क्रम में संदर्भित शर्तों की अनुपालन संख्या आपके सुलभ संदर्भ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत की जा रही है।

क्र० सं	सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त	मंजूर /नामंजूर
(B)	वे शर्तें, जिनका राज्य वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता एजेंसी को वन भूमि सौंपने के बाद फील्ड में कड़ाई से पालन करने की आवश्यकता हैं, परन्तु अंडरटेकिंग के रूप में अनुपालन स्टेज ॥ अनुमोदन-से पहले किया प्रस्तुत किया जाना है: -	
xii	वन भूमि पर किसी भी प्रकार का कोई श्रमिक शिविर नहीं लगाया जायेगा।	वन भूमि पर किसी भी प्रकार का कोई श्रमिक शिविर नहीं लगाया जायेगा। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमती है। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र सलग्न है।

Place:- Sarkaghat
Date:-

C/y
Divisional Forest Officer
Suket Forest Division
Sundernagar (H.P.) - 175013

Executive Engineer,
Division Sarkaghat
HP.PWD.Sarkaghat

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

Subject:-

Diversion of 1.8272 ha. of forest land in favour of HPPWD for the construction of link road Chowk to Sandoa via Dharjoi Ropri Dhar Kms 0/00 to 4/810, within the jurisdictions of Suket Forest Division, District Mandi, H.P

संदर्भ:-

भारत सरकार क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़ उप कार्यालय, शिमला / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय सी.जी.ओ. कॉम्प्लैक्स, शिवालिक खंड, लौंगवुड शिमला, हिमाचल प्रदेश -171001 के पत्र क्र० सं० 8बी/एच.पी.बी/06/22/2021/एफ.सी 1/75261 दिनांक 24-06-2024.

महोदय:-

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि कि भारत सरकार क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़ उप कार्यालय, शिमला / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय सी.जी.ओ. कॉम्प्लैक्स, शिवालिक खंड, लौंगवुड शिमला, हिमाचल प्रदेश -171001 के पत्र क्र० सं० 8बी/एच.पी.बी/06/22/2021/एफ.सी 1/75261 दिनांक 24-06-2024 के माध्यम से निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति के क्रम में संदर्भित शर्तों की अनुपालन संख्या आपके सुलभ संदर्भ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत की जा रही है।

क्र० सं	सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त	मंजूर /नामंजूर
(B)	वे शर्तें, जिनका राज्य वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता एजेंसी को वन भूमि सौंपने के बाद फील्ड में कड़ाई से पालन करने की आवश्यकता हैं, परन्तु अंडरटेकिंग के रूप में अनुपालन स्टेज II अनुमोदन-से पहले किया प्रस्तुत किया जाना है: -	
xiii.	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वांछित भूमि संरक्षण पैमाने उपयोग किये जायेंगे, जिसके लिए प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वर्तमान दरों पर धन राशि उपलब्ध करायी जायेगी।	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वांछित भूमि संरक्षण पैमाने उपयोग किये जायेंगे, जिसके लिए प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वर्तमान दरों पर धन राशि उपलब्ध करायी गयी है। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमती है। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र सलग्न है।

CF

Divisional Forest Officer
Suket Forest Division
Sundernagar (H.P.) - 175013

Executive Engineer,
Division Sarkaghat
HP.PWD.Sarkaghat

Place:- Sarkaghat

Date:-

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

Subject:-

Diversion of 1.8272 ha. of forest land in favour of HPPWD for the construction of link road Chowk to Sandoa via Dharjoi Ropri Dhar Kms 0/00 to 4/810, within the jurisdictions of Suket Forest Division, District Mandi, H.P

संदर्भ:-

भारत सरकार क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़ उप कार्यालय, शिमला / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय सी.जी.ओ. कॉम्प्लैक्स, शिवालिक खंड, लौंगवुड शिमला, हिमाचल प्रदेश -171001 के पत्र क्र० सं० 8बी /एच .पी. बी /06/22/2021/एफ. सी 1/75261 दिनांक 24-06-2024 .

महोदय :-

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि कि भारत सरकार क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़ उप कार्यालय, शिमला / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय सी.जी.ओ. कॉम्प्लैक्स, शिवालिक खंड, लौंगवुड शिमला, हिमाचल प्रदेश -171001 के पत्र क्र० सं० 8बी /एच .पी. बी /06/22/2021/एफ. सी 1/75261 दिनांक 24-06-2024 के माध्यम से निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति के क्रम में संदर्भित शर्तों की अनुपालन संख्या आपके सुलभ संदर्भ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत की जा रही है।

क्र० सं	सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त	मंजूर /नामंजूर
(B)	वे शर्तें, जिनका राज्य वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता एजेंसी को वन भूमि सौंपने के बाद फील्ड में कड़ाई से पालन करने की आवश्यकता हैं, परन्तु अंडरटेकिंग के रूप में अनुपालन स्टेज ॥ अनुमोदन-से पहले किया प्रस्तुत किया जाना है: -	
xiv.	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया पथ नहीं बनाया जाएगा।	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया पथ नहीं बनाया जाएगा। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमती है। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र सलग्न है।

Place:- Sarkaghat

Date:-

9/1
Divisional Forest Officer
Suket Forest Division
Sundernagar (H.P.) - 175018

Executive Engineer,
Division Sarkaghat
HP.PWD.Sarkaghat

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

Subject: -

Diversion of 1.8272 ha. of forest land in favour of HPPWD for the construction of link road Chowk to Sandoa via Dharjoi Ropri Dhar Kms 0/00 to 4/810, within the jurisdictions of Suket Forest Division, District Mandi, H.P

संदर्भ:-

भारत सरकार क्षेत्रीय कार्यालय ,चंडीगढ़ उप कार्यालय, शिमला / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय सी.जी.ओ. कॉम्प्लैक्स ,शिवालिक खंड, लौंगवुड शिमला, हिमाचल प्रदेश -171001 के पत्र क्र० सं० 8बी /एच .पी. बी /06/22/2021/एफ. सी 1/75261 दिनांक 24-06-2024 .

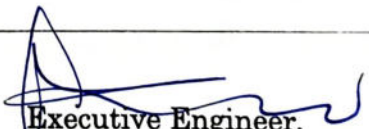
महोदय :-

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि कि भारत सरकार क्षेत्रीय कार्यालय ,चंडीगढ़ उप कार्यालय, शिमला / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय सी.जी.ओ. कॉम्प्लैक्स ,शिवालिक खंड, लौंगवुड शिमला, हिमाचल प्रदेश -171001 के पत्र क्र० सं० 8बी /एच .पी. बी /06/22/2021/एफ. सी 1/75261 दिनांक 24-06-2024 के माध्यम से निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति के क्रम में संदर्भित शर्तों की अनुपालन संख्या आपके सुलभ संदर्भ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत की जा रही है।

क्र० सं	सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त	मंजूर /नामंजूर
(B)	वे शर्तें, जिनका राज्य वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता एजेंसी को वन भूमि सौंपने के बाद फील्ड में कड़ाई से पालन करने की आवश्यकता हैं, परन्तु अंडरटेकिंग के रूप में अनुपालन स्टेज ॥ अनुमोदन-से पहले किया प्रस्तुत किया जाना है: -	
xv.	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा श्रमिकों तथा कार्यस्थल पर कार्यरत स्टाफ को अधिमानतः वैकल्पिक इंधन उपलब्ध करायेगी, ताकि साथ लगते वन क्षेत्र को किसी प्रकार के नुकसान तथा दबाव से बचाया जा सके।	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा श्रमिकों तथा कार्यस्थल पर कार्यरत स्टाफ को अधिमानतः वैकल्पिक इंधन उपलब्ध कराया जायेगा, ताकि साथ लगते वन क्षेत्र को किसी भी प्रकार के नुकसान से बचाया जा सके। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमती है। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र सलग्न है।



Divisional Forest Officer
Suket Forest Division
Sundernagar (H.P.) - 175018


Executive Engineer,
Division Sarkaghat
HP.PWD.Sarkaghat

Place:- Sarkaghat

Date:-

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

Subject: -

Diversion of 1.8272 ha. of forest land in favour of HPPWD for the construction of link road Chowk to Sandoa via Dharjoi Ropri Dhar Kms 0/00 to 4/810, within the jurisdictions of Suket Forest Division, District Mandi, H.P

संदर्भ:-

भारत सरकार क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़ उप कार्यालय, शिमला / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय सी.जी.ओ. कॉम्प्लैक्स, शिवालिक खंड, लौंगवुड शिमला, हिमाचल प्रदेश -171001 के पत्र क्र० सं० 8बी /एच.पी. बी /06/22/2021/एफ. सी 1/75261 दिनांक 24-06-2024 .

महोदय :-

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि कि भारत सरकार क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़ उप कार्यालय, शिमला / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय सी.जी.ओ. कॉम्प्लैक्स, शिवालिक खंड, लौंगवुड शिमला, हिमाचल प्रदेश -171001 के पत्र क्र० सं० 8बी /एच.पी. बी /06/22/2021/एफ. सी 1/75261 दिनांक 24-06-2024 के माध्यम से निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति के क्रम में संदर्भित शर्तों की अनुपालन संख्या आपके सुलभ संदर्भ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत की जा रही है।

क्र० सं	सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त	मंजूर /नामंजूर
(B)	वे शर्तें, जिनका राज्य वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता एजेंसी को वन भूमि सौंपने के बाद फील्ड में कड़ाई से पालन करने की आवश्यकता है, परन्तु अंडरटेकिंग के रूप में अनुपालन स्टेज II अनुमोदन-से पहले किया प्रस्तुत किया जाना है: -	
xvi.	प्रयोक्ता एजेंसी राज्य के मुख्य वन्य जीव संरक्षक द्वारा तैयार की गयी योजना के अनुसार उस क्षेत्र के वनस्पति और प्राणी समूह के संरक्षण तथा परिरक्षण में राज्य सरकार की सहायता करेगी।	प्रयोक्ता एजेंसी राज्य के मुख्य वन्य जीव संरक्षक द्वारा तैयार की गयी योजना के अनुसार उस क्षेत्र के वनस्पति और प्राणी समूह के संरक्षण तथा परिरक्षण में राज्य सरकार की सहायता की जाएगी। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमती है। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र सलग्न है।

Place:- Sarkaghat

Date:-

C/S

Divisional Forest Officer
Suket Forest Division
Sundernagar (H.P.) - 175013

Executive Engineer,
Division Sarkaghat
HP.PWD.Sarkaghat

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

Subject: -

Diversion of 1.8272 ha. of forest land in favour of HPPWD for the construction of link road Chowk to Sandoa via Dharjoi Ropri Dhar Kms 0/00 to 4/810, within the jurisdictions of Suket Forest Division, District Mandi, H.P

संदर्भ:-

भारत सरकार क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़ उप कार्यालय, शिमला / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय सी.जी.ओ. कॉम्प्लैक्स, शिवालिक खंड, लौंगवुड शिमला, हिमाचल प्रदेश -171001 के पत्र क्र० सं० 8बी /एच .पी. बी /06/22/2021/एफ. सी 1/75261 दिनांक 24-06-2024 .

महोदय :-

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि कि भारत सरकार क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़ उप कार्यालय, शिमला / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय सी.जी.ओ. कॉम्प्लैक्स, शिवालिक खंड, लौंगवुड शिमला, हिमाचल प्रदेश -171001 के पत्र क्र० सं० 8बी /एच .पी. बी /06/22/2021/एफ. सी 1/75261 दिनांक 24-06-2024 के माध्यम से निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति के क्रम में संदर्भित शर्तों की अनुपालन संख्या आपके सुलभ संदर्भ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत की जा रही है।

क्र० सं	सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त	मंजूर /नामंजूर
(B)	वे शर्तें, जिनका राज्य वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता एजेंसी को वन भूमि सौंपने के बाद फील्ड में कड़ाई से पालन करने की आवश्यकता हैं, परन्तु अंडरटेकिंग के रूप में अनुपालन स्टेज II अनुमोदन-से पहले किया प्रस्तुत किया जाना है: -	
xvii	स्थानांतरित वन भूमि की सीमायें आगे तथा पीछे लिखे गये क्रम संख्या वाले 4 फीट ऊँचे सीमेंट के खम्बों द्वारा चिह्नित की जाएगी।	स्थानांतरित वन भूमि की सीमायें आगे तथा पीछे लिखे गये क्रम संख्या वाले 4 फीट ऊँचे सीमेंट के खम्बों द्वारा चिह्नित की जाएगी। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमती है। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र सलग्न है।

4/

Divisional Forest Officer
Suket Forest Division
Sundernagar (H.P.) - 175018

Place:- Sarkaghat

Date:-

Executive Engineer,
Division Sarkaghat
HP.PWD.Sarkaghat

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

Subject: -

Diversion of 1.8272 ha. of forest land in favour of HPPWD for the construction of link road Chowk to Sandoa via Dharjoi Ropri Dhar Kms 0/00 to 4/810, within the jurisdictions of Suket Forest Division, District Mandi, H.P

संदर्भ:-

भारत सरकार क्षेत्रीय कार्यालय ,चंडीगढ़ उप कार्यालय, शिमला / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय सी.जी.ओ. कॉम्प्लैक्स ,शिवालिक खंड, लौंगवुड शिमला, हिमाचल प्रदेश -171001 के पत्र क्र० सं० 8बी /एच .पी. बी /06/22/2021/एफ. सी 1/75261 दिनांक 24-06-2024 .

महोदय :-

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि कि भारत सरकार क्षेत्रीय कार्यालय ,चंडीगढ़ उप कार्यालय, शिमला / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय सी.जी.ओ. कॉम्प्लैक्स ,शिवालिक खंड, लौंगवुड शिमला, हिमाचल प्रदेश -171001 के पत्र क्र० सं० 8बी /एच .पी. बी /06/22/2021/एफ. सी 1/75261 दिनांक 24-06-2024 के माध्यम से निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति के क्रम में संदर्भित शर्तों की अनुपालन संख्या आपके सुलभ संदर्भ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत की जा रही है।

क्र० सं	सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त	मंजूर /नामंजूर
(B)	वे शर्तें, जिनका राज्य वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता एजेंसी को वन भूमि सौंपने के बाद फील्ड में कड़ाई से पालन करने की आवश्यकता है, परन्तु अंडरटेकिंग के रूप में अनुपालन स्टेज ॥ अनुमोदन-से पहले किया प्रस्तुत किया जाना है: -	
xvii i.	संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में नियमित अंतराल पर सड़क के किनारे स्पीड रेगुलेटिंग साइनेज लगाए जाएंगे।	संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में नियमित अंतराल पर सड़क के किनारे स्पीड रेगुलेटिंग साइनेज लगाए जाएंगे। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमती है । इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र सलग्न है ।

Executive Engineer,
Division Sarkaghat
HP.PWD.Sarkaghat

Place:- Sarkaghat

Date:-

Divisional Forest Officer
Suket Forest Division
Sundernagar (H.P.) - 175018

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

Subject: -

Diversion of 1.8272 ha. of forest land in favour of HPPWD for the construction of link road Chowk to Sandoa via Dharjoi Ropri Dhar Kms 0/00 to 4/810, within the jurisdictions of Suket Forest Division, District Mandi, H.P

संदर्भ:-

भारत सरकार क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़ उप कार्यालय, शिमला / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय सी.जी.ओ. कॉम्पलैक्स, शिवालिक खंड, लौंगवुड शिमला, हिमाचल प्रदेश -171001 के पत्र क्र० सं० 8बी /एच .पी. बी /06/22/2021/एफ. सी 1/75261 दिनांक 24-06-2024 .

महोदय :-

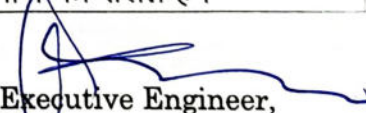
उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि कि भारत सरकार क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़ उप कार्यालय, शिमला / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय सी.जी.ओ. कॉम्पलैक्स, शिवालिक खंड, लौंगवुड शिमला, हिमाचल प्रदेश -171001 के पत्र क्र० सं० 8बी /एच .पी. बी /06/22/2021/एफ. सी 1/75261 दिनांक 24-06-2024 के माध्यम से निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति के क्रम में संदर्भित शर्तों की अनुपालन संख्या आपके सुलभ संदर्भ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत की जा रही है।

क्र० सं	सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त	मंजूर /नामंजूर
(B)	वे शर्तें, जिनका राज्य वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता एजेंसी को वन भूमि सौंपने के बाद फील्ड में कड़ाई से पालन करने की आवश्यकता हैं, परन्तु अंडरटेकिंग के रूप में अनुपालन स्टेज ॥ अनुमोदन-से पहले किया प्रस्तुत किया जाना है: -	
xix.	प्रयोक्ता एजेंसी सीडब्ल्यूएलडब्ल्यू/ एनबीडब्ल्यूएल/ एफएसी/ आरईसी की सिफारिशों के अनुसार संरक्षित क्षेत्र/वन क्षेत्र में उपयुक्त अंडर/ओवरपास उपलब्ध कराएगी।	प्रयोक्ता एजेंसी सीडब्ल्यूएलडब्ल्यू/ एनबीडब्ल्यूएल/ एफएसी/ आरईसी की सिफारिशों के अनुसार संरक्षित क्षेत्र/वन क्षेत्र में उपयुक्त अंडर/ओवरपास उपलब्ध कराएगी। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमती है। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र सलग्न है।

Place:- Sarkaghat

Date:-


Divisional Forest Officer
Suket Forest Division
Sundernagar (H.P.) - 175013


Executive Engineer,
Division Sarkaghat
HP.PWD.Sarkaghat

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

Subject: -

Diversion of 1.8272 ha. of forest land in favour of HPPWD for the construction of link road Chowk to Sandoa via Dharjoi Ropri Dhar Kms 0/00 to 4/810, within the jurisdictions of Suket Forest Division, District Mandi, H.P

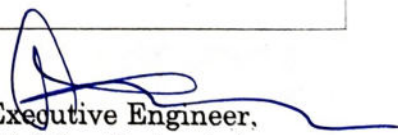
संदर्भ:-

भारत सरकार क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़ उप कार्यालय, शिमला / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय सी.जी.ओ. कॉम्प्लैक्स, शिवालिक खंड, लौंगवुड शिमला, हिमाचल प्रदेश -171001 के पत्र क्र० सं० 8बी /एच .पी. बी /06/22/2021/एफ. सी 1/75261 दिनांक 24-06-2024 .

महोदय :-

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि कि भारत सरकार क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़ उप कार्यालय, शिमला / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय सी.जी.ओ. कॉम्प्लैक्स, शिवालिक खंड, लौंगवुड शिमला, हिमाचल प्रदेश -171001 के पत्र क्र० सं० 8बी /एच .पी. बी /06/22/2021/एफ. सी 1/75261 दिनांक 24-06-2024 के माध्यम से निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति के क्रम में संदर्भित शर्तों की अनुपालन संख्या आपके सुलभ संदर्भ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत की जा रही है।

क्र० सं	सैधान्तिक स्वीकृति की शर्त	मंजूर /नामंजूर
(B)	वे शर्तें, जिनका राज्य वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता एजेंसी को वन भूमि सौंपने के बाद फील्ड में कड़ाई से पालन करने की आवश्यकता हैं, परन्तु अंडरटेकिंग के रूप में अनुपालन स्टेज ॥ अनुमोदन-से पहले किया प्रस्तुत किया जाना है: -	
xx.	यदि आवश्यक हो तो प्रयोक्ता एजेंसी पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986, के अनुसार पर्यावरण अनुमति प्राप्त करेगी।	यदि आवश्यक हो तो प्रयोक्ता एजेंसी पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986, के अनुसार पर्यावरण अनुमति प्राप्त प्राप्त करेगी । इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमती है । इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र सलग्न है ।


Executive Engineer,
Division Sarkaghat
HP.PWD.Sarkaghat

Place:- Sarkaghat

Date:-


Divisional Forest Officer
Suket Forest Division
Sundernagar (H.P.) - 175010

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

Subject: -

Diversion of 1.8272 ha. of forest land in favour of HPPWD for the construction of link road Chowk to Sandoa via Dharjoi Ropri Dhar Kms 0/00 to 4/810, within the jurisdictions of Suket Forest Division, District Mandi, H.P

संदर्भ:-

भारत सरकार क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़ उप कार्यालय, शिमला / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय सी.जी.ओ. कॉम्प्लैक्स, शिवालिक खंड, लौंगवुड शिमला, हिमाचल प्रदेश -171001 के पत्र क्र० सं० 8बी /एच.पी. बी /06/22/2021/एफ. सी 1/75261 दिनांक 24-06-2024 .

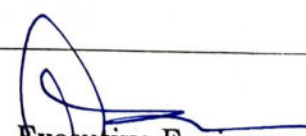
महोदय :-

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि कि भारत सरकार क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़ उप कार्यालय, शिमला / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय सी.जी.ओ. कॉम्प्लैक्स, शिवालिक खंड, लौंगवुड शिमला, हिमाचल प्रदेश -171001 के पत्र क्र० सं० 8बी /एच.पी. बी /06/22/2021/एफ. सी 1/75261 दिनांक 24-06-2024 के माध्यम से निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति के क्रम में संदर्भित शर्तों की अनुपालन संख्या आपके सुलभ संदर्भ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत की जा रही है।

क्र० सं	सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त	मंजूर /नामंजूर
(B)	वे शर्तें, जिनका राज्य वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता एजेंसी को वन भूमि सौंपने के बाद फील्ड में कड़ाई से पालन करने की आवश्यकता है, परन्तु अंडरटेकिंग के रूप में अनुपालन स्टेज II अनुमोदन-से पहले किया प्रस्तुत किया जाना है: -	
xxi.	परियोजना निर्माण से उत्सर्जित मलवे का निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा केवल परियोजना स्थल पर ही किया जाएगा तथा इसके अलावा अन्यत्र मलवा नहीं फेंका जायेगा। मलबा निस्तारण स्थल पर दर्शाए गये वृक्षों का पतन नहीं किया जायेगा।	परियोजना निर्माण से उत्सर्जित मलवे का निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा केवल परियोजना स्थल पर ही किया जाएगा तथा इसके अलावा अन्यत्र मलवा नहीं फेंका जायेगा। मलबा निस्तारण स्थल पर दर्शाए गये वृक्षों का पतन नहीं किया जायेगा। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमती है। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र सलग्न है।

Place:- Sarkaghat
Date:-


Divisional Forest Officer
Suket Forest Division
Sundernagar (H.P.) - 175018


Executive Engineer,
Division Sarkaghat
HP.PWD.Sarkaghat

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

Subject: -

Diversion of 1.8272 ha. of forest land in favour of HPPWD for the construction of link road Chowk to Sandoa via Dharjoi Ropri Dhar Kms 0/00 to 4/810, within the jurisdictions of Suket Forest Division, District Mandi, H.P

संदर्भ:-

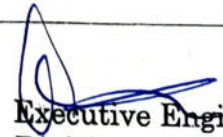
भारत सरकार क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़ उप कार्यालय, शिमला / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय सी.जी.ओ. कॉम्प्लैक्स, शिवालिक खंड, लौंगवुड शिमला, हिमाचल प्रदेश -171001 के पत्र क्र० सं० 8बी /एच .पी. बी /06/22/2021/एफ. सी 1/75261 दिनांक 24-06-2024 .

महोदय :-

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि कि भारत सरकार क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़ उप कार्यालय, शिमला / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय सी.जी.ओ. कॉम्प्लैक्स, शिवालिक खंड, लौंगवुड शिमला, हिमाचल प्रदेश -171001 के पत्र क्र० सं० 8बी /एच .पी. बी /06/22/2021/एफ. सी 1/75261 दिनांक 24-06-2024 के माध्यम से निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति के क्रम में संदर्भित शर्तों की अनुपालन संख्या आपके सुलभ संदर्भ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत की जा रही है।

क्र० सं	सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त	मंजूर /नामंजूर
(B)	वे शर्तें, जिनका राज्य वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता एजेंसी को वन भूमि सौंपने के बाद फील्ड में कड़ाई से पालन करने की आवश्यकता हैं, परन्तु अंडरटेकिंग के रूप में अनुपालन स्टेज ॥ अनुमोदन-से पहले किया प्रस्तुत किया जाना है: -	
xxii	इस प्रस्ताव को 99 वर्षों के लिए अनुमति प्रदान की जायेगी, इसके उपरांत पुनः यह अनुमति भारत सरकार से प्राप्त करनी होगी। इस अनुमोदन के तहत diversion की अवधि प्रयोक्ता एजेंसी के पक्ष में दी जाने वाली lease की अवधि या परियोजना की अवधि, जो भी कम हो, के सह-समाप्ति होगी।	इस प्रस्ताव को 99 वर्षों के लिए अनुमति प्रदान है, इसके उपरांत पुनः यह अनुमति भारत सरकार द्वारा प्राप्त की जाएगी। इस अनुमोदन के तहत diversion की अवधि प्रयोक्ता एजेंसी के पक्ष में दी जाने वाली lease की अवधि या परियोजना की अवधि, जो भी कम हो, के सह-समाप्ति होगी। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमती है। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र सलग्न है।


Divisional Forest Officer
Suket Forest Division
Sundernagar (H.P.) - 175019


Executive Engineer,
Division Sarkaghat
HP.PWD.Sarkaghat

Place:- Sarkaghat

Date:-

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

Subject: -

Diversion of 1.8272 ha. of forest land in favour of HPPWD for the construction of link road Chowk to Sandoa via Dharjoi Ropri Dhar Kms 0/00 to 4/810, within the jurisdictions of Suket Forest Division, District Mandi, H.P

संदर्भ:-

भारत सरकार क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़ उप कार्यालय, शिमला / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय सी.जी.ओ. कॉम्प्लैक्स, शिवालिक खंड, लौंगवुड शिमला, हिमाचल प्रदेश -171001 के पत्र क्र० सं० 8बी /एच .पी. बी /06/22/2021/एफ. सी 1/75261 दिनांक 24-06-2024 .

महोदय :-

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि कि भारत सरकार क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़ उप कार्यालय, शिमला / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय सी.जी.ओ. कॉम्प्लैक्स, शिवालिक खंड, लौंगवुड शिमला, हिमाचल प्रदेश -171001 के पत्र क्र० सं० 8बी /एच .पी. बी /06/22/2021/एफ. सी 1/75261 दिनांक 24-06-2024 के माध्यम से निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति के क्रम में संदर्भित शर्तों की अनुपालन संख्या आपके सुलभ संदर्भ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत की जा रही है।

क्र० सं	सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त	मंजूर /नामंजूर
(B)	वे शर्तें, जिनका राज्य वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता एजेंसी को वन भूमि सौंपने के बाद फील्ड में कड़ाई से पालन करने की आवश्यकता हैं, परन्तु अंडरटेकिंग के रूप में अनुपालन स्टेज ॥ अनुमोदन-से पहले किया प्रस्तुत किया जाना है: -	
xxii i	अन्य कोई भी शर्त इस क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा वन तथा वन्य जीवों के संरक्षण, सुरक्षा तथा विकास हेतु समय समय पर लगाई जा सकती है।	अन्य कोई भी शर्त इस क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा वन तथा वन्य जीवों के संरक्षण, सुरक्षा तथा विकास हेतु समय समय पर लगाई जाएगी। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमती है। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र सलग्न है।

CH

Divisional Forest Officer
Suket Forest Division
Sundernagar (H.P.) - 175018

Executive Engineer,
Division Sarkaghat
HP.PWD.Sarkaghat

Place:- Sarkaghat

Date:-

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

Subject:-

Diversion of 1.8272 ha. of forest land in favour of HPPWD for the construction of link road Chowk to Sandoa via Dharjoi Ropri Dhar Kms 0/00 to 4/810, within the jurisdictions of Suket Forest Division, District Mandi, H.P

संदर्भ:-

भारत सरकार क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़ उप कार्यालय, शिमला / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय सी.जी.ओ. कॉम्प्लैक्स, शिवालिक खंड, लौंगवुड शिमला, हिमाचल प्रदेश -171001 के पत्र क्र० सं० 8बी /एच .पी. बी /06/22/2021/एफ. सी 1/75261 दिनांक 24-06-2024 .

महोदय :-

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि कि भारत सरकार क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़ उप कार्यालय, शिमला / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय सी.जी.ओ. कॉम्प्लैक्स, शिवालिक खंड, लौंगवुड शिमला, हिमाचल प्रदेश -171001 के पत्र क्र० सं० 8बी /एच .पी. बी /06/22/2021/एफ. सी 1/75261 दिनांक 24-06-2024 के माध्यम से निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति के क्रम में संदर्भित शर्तों की अनुपालन संख्या आपके सुलभ संदर्भ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत की जा रही है।

क्र० सं	सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त	मंजूर /नामंजूर
(B)	वे शर्तें, जिनका राज्य वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता एजेंसी को वन भूमि सौंपने के बाद फील्ड में कड़ाई से पालन करने की आवश्यकता हैं, परन्तु अंडरटेकिंग के रूप में अनुपालन स्टेज II अनुमोदन-से पहले किया प्रस्तुत किया जाना है: -	
xxi v.	यदि कोई अन्य सम्बंधित अधिनियम/ अनुच्छेद/ नियम/ न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार की जिम्मेवारी होगी।	यदि कोई अन्य सम्बंधित अधिनियम/ अनुच्छेद/ नियम/ न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार की जिम्मेवारी होगी। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमती है। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र सलग है।

Place:- Sarkaghat
Date:-


Divisional Forest Officer
Suket Forest Division
Sundernagar (H.P.) - 175018


Executive Engineer,
Division Sarkaghat
HP.PWD.Sarkaghat

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

Subject: -

Diversion of 1.8272 ha. of forest land in favour of HPPWD for the construction of link road Chowk to Sandoa via Dharjoi Ropri Dhar Kms 0/00 to 4/810, within the jurisdictions of Suket Forest Division, District Mandi, H.P

संदर्भ:-

भारत सरकार क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़ उप कार्यालय, शिमला / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय सी.जी.ओ. कॉम्प्लैक्स, शिवालिक खंड, लौंगवुड शिमला, हिमाचल प्रदेश -171001 के पत्र क्र० सं० 8बी /एच .पी. बी /06/22/2021/एफ. सी 1/75261 दिनांक 24-06-2024 .

महोदय :-

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि कि भारत सरकार क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़ उप कार्यालय, शिमला / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय सी.जी.ओ. कॉम्प्लैक्स, शिवालिक खंड, लौंगवुड शिमला, हिमाचल प्रदेश -171001 के पत्र क्र० सं० 8बी /एच .पी. बी /06/22/2021/एफ. सी 1/75261 दिनांक 24-06-2024 के माध्यम से निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति के क्रम में संदर्भित शर्तों की अनुपालन संख्या आपके सुलभ संदर्भ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत की जा रही है।

क्र० सं	सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त	मंजूर /नामंजूर
(B)	वे शर्तें, जिनका राज्य वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता एजेंसी को वन भूमि सौंपने के बाद फील्ड में कड़ाई से पालन करने की आवश्यकता हैं, परन्तु अंडरटेकिंग के रूप में अनुपालन स्टेज ॥ अनुमोदन-से पहले किया प्रस्तुत किया जाना है: -	
xxv	इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 और वन (संरक्षण एवं संवर्धन) नियम, 2023 में उल्लेखित दिशानिर्देश 1.16 के अनुसार कार्यवाही की जाएगी।	इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लंघन यदि होगा व पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 और वन (संरक्षण एवं संवर्धन) नियम, 2023 में उल्लेखित दिशानिर्देश 1.16 के अनुसार कार्यवाही आवश्यक की जाएगी। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमती है। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र सलग्न है।

C/r

Divisional Forest Officer
Suket Forest Division
Sundernagar (H.P.) - 175019

Executive Engineer,
Division Sarkaghat
HP.PWD.Sarkaghat

Place:- Sarkaghat

Date:-



No.PW-SKT-WA-FOREST CASE/2024/12088

Dated: 14/01/2025

From: DCF Suket; Sundernagar

To: CCF Mandi (T)

Subject: - Diversion of 1.8272 ha. of forest land in favour of HPPWD for the construction of link road Chowk to Sandoa via Dharjoi Ropri Dhar Kms 0/00 to 4/810, within the jurisdictions of Suket Forest Division, District Mandi, H.P.

संदर्भ:- भारत सरकार क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़ उप कार्यालय, शिमला / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय सी.जी.ओ. कॉम्प्लैक्स, शिवालिक खंड, लौंगबुड शिमला, हिमाचल प्रदेश - 171001 के पत्र क्र० सं० 8बी/एच.पी.बी/06/22/2021/एफ.सी 1/75261 दिनांक 24-06-2024.

महोदय :- उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि भारत सरकार क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़ उप कार्यालय, शिमला / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय सी.जी.ओ. कॉम्प्लैक्स, शिवालिक खंड, लौंगबुड शिमला, हिमाचल प्रदेश - 171001 के पत्र क्र० सं० 8बी/एच.पी.बी/06/22/2021/एफ.सी 1/75261 दिनांक 24-06-2024 के माध्यम से निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति के क्रम में संदर्भित शर्तों की अनुपालन संख्या आपके सुलभ संदर्भ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत की जा रही है।

क्र० सं०	सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्तें	मंजूर /नामंजूर
(A) वे शर्तें, जिनका राज्य वन विभाग द्वारा वन भूमि सौंपने से पहले अनुपालन करने की आवश्यकता है।		
i.	प्रयोक्ता एजेंसी से CA स्कीम के अनुसार प्रतिपूर्ति पौधारोपण की राशि जमा करवाई जाए।	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा CA स्कीम के अनुसार प्रतिपूर्ति पौधारोपण की राशि जमा करवा दी गई है जिसका शपथ पत्र साथ संलग्न है।
ii.	राज्य सरकार माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा WP (C) No. 202/1995 अंतर्गत दिनांक 08.02.2023 को जारी आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित करेंगी।	राज्य सरकार माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा WP (C) No. 202/1995 अंतर्गत दिनांक 08.02.2023 को जारी आदेशों की अनुपालना को सुनिश्चित करेंगी। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमती है। वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है।
iii.	WP (C) No. 202/1995, IA No. 566 में माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 30.10.2002, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के निर्देश संख्या 5-3/2011-FC (vol-1) दिनांक 06.01.2022 के अनुसार प्रयोक्ता एजेंसी से प्रस्तावित वन भूमि, 1.8272 हेक्टेयर की नैट प्रजेंट वैल्यु जमा करवाई जाये।	WP (C) No. 202/1995, IA No. 566 में माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 30.10.2002, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के निर्देश संख्या 5-3/2011-FC (vol-1) दिनांक 06.01.2022 के अनुसार प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा प्रस्तावित वन भूमि, 1.8272 हेक्टेयर की नैट प्रजेंट वैल्यु की धन राशी 18,36,720/- UTR No. RBI 3252440594363 दिनांक 19-11-2024 को



		ऑनलाइन चालान के माध्यम से CAMPA Fund जमा कर दी गयी है। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमती है। वचनबद्धता प्रमाण पत्र सलग्न है।
iv.	प्रयोक्ता एजेंसी सभी भुगतान राशि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की वेबसाइट www.parivesh.nic.in पर केवल ऑनलाइन माध्यम से CAMPA Fund में जमा करवाएगी।	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा सभी भुगतान राशि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की वेबसाइट www.parivesh.nic.in पर 32,70,332/- UTR No. RBI 3252440594363 दिनांक 19-11-2024 को ऑनलाइन चालान के माध्यम से CAMPA Fund में जमा कर दी गयी है। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमती है। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र और ऑनलाइन चालान की कॉपी सलग्न है।
v.	पूर्ण अनुपालन रिपोर्ट e-portal (https://parivesh.nic.in/) में अपलोड की जाएगी।	पूर्ण अनुपालन रिपोर्ट e-portal (https://parivesh.nic.in/) में अपलोड कर दी जाएगी। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमती है। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र सलग्न है।
vi.	प्रयोक्ता एजेंसी को यह सुनिश्चित करना है कि प्रतिपूरक शुल्क (सीए लागत, एनपीवी, आदि) वेब पोर्टल पर ऑनलाइन उत्पन्न चालान के माध्यम से जमा किए जाते हैं और केवल उपयुक्त बैंक में जमा किए जाते हैं अन्य माध्यम से जमा की गई राशि को S-I clearance के अनुपालन के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा।	प्रयोक्ता एजेंसी यह सुनिश्चित करती है कि प्रतिपूरक शुल्क(सीए लागत, एनपीवी, आदि) की धन राशी UTR NO RBI3252440594363 के अंतर्गत दिनांक 19-11-2024 को 32,70,332/- वेब पोर्टल पर ऑनलाइन उत्पन्न चालान के माध्यम से ही जमा किया गये हैं। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमती है। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र और ऑनलाइन उत्पन्न चालान की कॉपी सलग्न है।
vii.	प्रयोक्ता एजेंसी यह सुनिश्चित करेगी कि संभाग में कोई अन्य प्रस्ताव, जिसके लिए S-I पहले ही स्वीकृत किया जा चुका है. S-I अनुमोदन की शर्तों के अनुपालन के लिए अभी भी लंबित नहीं है। इस आशय का एक वचन पत्र कि इस मंडल के पास S-I अनुमोदन की शर्तों के अनुपालन के लिए ऐसा कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है" प्रस्तुत किया जाए। इस कार्यालय द्वारा इस प्रस्ताव को अंतिम मंजूरी के लिए उसका अनुपालन अनिवार्य होगा।	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा यह सुनिश्चित किया गया है कि संभाग में कोई अन्य प्रस्ताव, जिसके लिए S-I पहले ही स्वीकृत किया जा चुका है, और S-I अनुमोदन की शर्तों के अनुपालन के लिए कोई भी लंबित नहीं है। इस आशय का एक वचन पत्र कि इस मंडल के पास S-I अनुमोदन की शर्तों के अनुपालन के लिए ऐसा कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है" यह प्रस्तुत किया गया। इस कार्यालय द्वारा इस प्रस्ताव को अंतिम मंजूरी के लिए उसका अनुपालन अनिवार्य होगा। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमती है। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र सलग्न है।
viii.	FRA 2006 का पूर्ण अनुपालन सम्बंधित जिला कलेक्टर द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र के द्वारा किया जाएगा।	FRA 2006 का पूर्ण अनुपालन सम्बंधित जिला कलेक्टर द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र पहले से ही अपलोड किया जा चुका है। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमती है।

1750



		है। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र व ऑनलाइन चालन सलग्न है।
(B)	वे शर्तें, जिनका राज्य वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता एजेंसी को वन भूमि सौंपने के बाद फील्ड में कड़ाई से पालन करने की आवश्यकता है, परन्तु अंडरटेकिंग के रूप में अनुपालन स्टेज II- अनुमोदन से पहले प्रस्तुत किया जाना है: -	
i.	वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।	वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमती है। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र सलग्न है।
ii.	काटे जाने वाले बाधक वृक्षों/पौधों की संख्या किसी भी रूप में प्रस्ताव में दर्शायी गई संख्या से अधिक नहीं होगी और वृक्षों की कटाई के दौरान वन्यजीवों को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा।	काटे जाने वाले बाधक वृक्षों/पौधों की संख्या किसी भी रूप में प्रस्ताव में दर्शायी गई संख्या से अधिक नहीं होगी और वृक्षों की कटाई के दौरान वन्यजीवों को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमती है। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र सलग्न है।
iii.	राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित सीए योजना के अनुसार 3.6544 हे० के पौधारोपण का कार्य Survey No-OD210, Village-Gadahachh, Bandli Beat Trechh Block jhungi Forest Range, Suket Forest Division, Distt. Mandi, Himachal Pradesh पर सीए किया जाएगा और धन उपयोग कर्ता एजेंसी द्वारा प्रदान किया जाएगा। अनुमोदन जारी होने की तिथि से एक वर्ष के भीतर वृक्षारोपण किया जाएगा। यथासंभव, स्थानीय देशी प्रजाति मिश्रित रूप से रोपित किये जायेंगे एवं किसी भी प्रजाति का monoculture नहीं किया जाएगा।	राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित सीए योजना के अनुसार 3.6544 हे० वन भूमि Survey No-OD210, Village-Gadahachh, Bandli Beat Trechh Block jhungi Forest Range, Suket Forest Division, Distt. Mandi, Himachal Pradesh पर सीए द्वारा किया गया है और धन उपयोग कर्ता एजेंसी द्वारा प्रदान किया जा चुका है। अनुमोदन जारी होने की तिथि से एक वर्ष के भीतर वृक्षारोपण किया जाएगा। यथासंभव, स्थानीय देशी प्रजाति मिश्रित रूप से रोपित किये जायेंगे एवं किसी भी प्रजाति का monoculture नहीं किया जाएगा। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमती है। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र साथ सलग्न है।
iv.	प्रस्तावित CA land, यदि राज्य वन विभाग के नाम है, तो उससे संबंधित दस्तावेज, अन्यथा, IFA 1927 के अंतर्गत, RF/PF में अधिसूचित करा कर, तत्संबंधित दस्तावेज, विधिवत स्वीकृति के पहले प्रस्तुत किया जाएगा।	वचनबद्धता प्रमाण पत्र साथ सलग्न है
v.	राज्य सरकार वन भूमि को प्रयोक्ता एजेंसी को सौंपने से पहले FSI के ई-ग्रीन वॉच पोर्टल में प्रतिपूरक वन रोपण के लिए स्वीकृत degraded वन क्षेत्र की kml files को अपलोड करेगी।	वचनबद्धता प्रमाण पत्र साथ सलग्न है



vi.	वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये गये उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिये नहीं किया जायेगा।	वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये गये उद्देश्य अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिये नहीं किया गया है। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमती है। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र सलग्न है।
vii.	माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार, जब कभी भी NPV की राशि बढ़ाई जायेगी तो उस बढ़ी हुई NPV की राशि को जमा करने के लिए प्रयोक्ता एजेंसी बाध्य होगी और राज्य सरकार बढ़ी हुई राशि जमा कराना सुनिश्चित करेंगे।	माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार, जब कभी भी NPV की राशि बढ़ाई जायेगी तो उस बढ़ी हुई NPV की राशि को जमा करने के लिए प्रयोक्ता एजेंसी बाध्य होगी और राज्य सरकार बढ़ी हुई राशि जमा कराना सुनिश्चित किया जायेगा। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमती है। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र सलग्न है।
viii.	Soil and Moisture Conservation Plan along with detail cost of its implementation into the account of CAMPA is required to be submitted along with Stage-1 compliance. However, in cases where it is not possible for the State Govt. to submit the compliance due to delay in preparation of such Plan, a lump sum amount of 0.5% of the project cost shall be realized from the User Agency and submitted along with the Stage I compliance. The deficit amount, as per said Plan, if any, from the money already realized to the tune of 0.5% of project cost shall be deposited in the CAMPA account prior to actual working on the forest area. An undertaking to this effect shall be submitted	The Soil and Moisture Conservation Plan, a lump sum amount of 0.5% of the project cost has been deposited in CAMPA. An undertaking to this effect has been submitted/attached.
ix.	एवेन्यू वृक्षारोपण, सड़क के दोनों ओर व मध्य भाग पर आईआरसी विनिर्देश के अनुसार उपयोगकर्ता एजेंसी द्वारा किया जाएगा।	एवेन्यू वृक्षारोपण, सड़क के दोनों ओर व मध्य भाग पर आईआरसी विनिर्देश के अनुसार उपयोगकर्ता एजेंसी द्वारा किया जाएगा। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमती है। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र सलग्न है।
x.	स्थानान्तरण के लिए प्रस्तावित वन भूमि को केंद्रीय सरकार की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी परिस्थिति में किसी अन्य एजेंसी, विभाग या व्यक्ति विशेष को हस्तांतरित नहीं किया जायेगा।	स्थानान्तरण के लिए प्रस्तावित वन भूमि को केंद्रीय सरकार की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी परिस्थिति में किसी अन्य एजेंसी, विभाग या व्यक्ति विशेष को हस्तांतरित नहीं किया जायेगा। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमती है। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र सलग्न है।
xi.	केंद्रीय सरकार की अनुमति के बिना प्रस्ताव की ले आउट प्लान को बदला नहीं जायेगा।	केंद्रीय सरकार की अनुमति के बिना प्रस्ताव की ले आउट प्लान को नहीं बदला जायेगा। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमती है। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र सलग्न है।



xii.	वन भूमि पर किसी भी प्रकार का कोई श्रमिक शिविर नहीं लगाया जायेगा।	वन भूमि पर किसी भी प्रकार का कोई श्रमिक शिविर नहीं लगाया जायेगा। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमती है। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र साथ सलग्न है।
xiii.	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वांछित भूमि संरक्षण पैमाने उपयोग किये जायेंगे, जिसके लिए प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वर्तमान दरों पर धन राशि उपलब्ध करायी जायेगी।	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वांछित भूमि संरक्षण पैमाने उपयोग किये जायेंगे, जिसके लिए प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वर्तमान दरों पर धन राशि उपलब्ध करायी गयी है। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमती है। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र सलग्न है।
xiv.	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया पथ नहीं बनाया जाएगा।	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया पथ नहीं बनाया जाएगा। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमती है। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र सलग्न है।
xv.	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा श्रमिकों तथा कार्यस्थल पर कार्यरत स्टाफ को अधिमानतः वैकल्पिक इंधन उपलब्ध करायेगी, ताकि साथ लगते वन क्षेत्र को किसी भी प्रकार के नुकसान तथा दबाव से बचाया जा सके।	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा श्रमिकों तथा कार्यस्थल पर कार्यरत स्टाफ को अधिमानतः वैकल्पिक इंधन उपलब्ध कराया जायेगा, ताकि साथ लगते वन क्षेत्र को किसी भी प्रकार के नुकसान से बचाया जा सके। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमती है। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र सलग्न है।
xvi.	प्रयोक्ता एजेंसी राज्य के मुख्य वन्य जीव संरक्षक द्वारा तैयार की गयी योजना के अनुसार उस क्षेत्र के वनस्पति और प्राणी समूह के संरक्षण तथा परिरक्षण में राज्य सरकार की सहायता करेगी।	प्रयोक्ता एजेंसी राज्य के मुख्य वन्य जीव संरक्षक द्वारा तैयार की गयी योजना के अनुसार उस क्षेत्र के वनस्पति और प्राणी समूह के संरक्षण तथा परिरक्षण में राज्य सरकार की सहायता की जाएगी। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमती है। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र सलग्न है।
xvii.	स्थानांतरित वन भूमि की सीमायें आगे तथा पीछे लिखे गये क्रम संख्या वाले 4 फीट ऊँचे सीमेंट के खम्बों द्वारा चिह्नित की जाएगी।	स्थानांतरित वन भूमि की सीमायें आगे तथा पीछे लिखे गये क्रम संख्या वाले 4 फीट ऊँचे सीमेंट के खम्बों द्वारा चिह्नित की जाएगी। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमती है। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र सलग्न है।
xviii.	संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में नियमित अंतराल पर सड़क के किनारे स्पीड रेगुलेटिंग साइनेज लगाए जाएंगे।	संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में नियमित अंतराल पर सड़क के किनारे स्पीड रेगुलेटिंग साइनेज लगाए जाएंगे। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमती है। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र सलग्न है।
xix.	प्रयोक्ता एजेंसी सीडब्ल्यूएलडब्ल्यू/ एनबीडब्ल्यूएल/ एफएसी/ आरईसी की सिफारिशों के अनुसार संरक्षित क्षेत्र/वन क्षेत्र में उपयुक्त अंडर/ओवरपास उपलब्ध कराएगी।	प्रयोक्ता एजेंसी सीडब्ल्यूएलडब्ल्यू/ एनबीडब्ल्यूएल/ एफएसी/ आरईसी की सिफारिशों के अनुसार संरक्षित क्षेत्र/वन क्षेत्र में उपयुक्त अंडर/ओवरपास उपलब्ध कराएगी। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमती है। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र सलग्न है।
xx.	यदि आवश्यक हो तो प्रयोक्ता एजेंसी पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986, के अनुसार पर्यावरण अनुमति प्राप्त करेगी।	यदि आवश्यक हो तो प्रयोक्ता एजेंसी पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986, के अनुसार पर्यावरण अनुमति प्राप्त करेगी। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमती है। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र सलग्न है।



Office of **DEPUTY CONSERVATOR OF FORESTS**
SUKET FOREST DIVISION; SUNDERNAGAR DISTT. MANDI (H.P.) 17
PHONE & Fax 01907-267228, e.mail - dfosuket123@gmail.com

		सहमती है। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र सलग्र है।
xxi.	परियोजना निर्माण से उत्सर्जित मलवे का निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा केवल परियोजना स्थल पर ही किया जाएगा तथा इसके अलावा अन्यत्र मलवा नहीं फेंका जायेगा। मलबा निस्तारण स्थल पर दर्शाए गये वृक्षों का पतन नहीं किया जायेगा।	परियोजना निर्माण से उत्सर्जित मलवे का निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा केवल परियोजना स्थल पर ही किया जाएगा तथा इसके अलावा अन्यत्र मलवा नहीं फेंका जायेगा। मलबा निस्तारण स्थल पर दर्शाए गये वृक्षों का पतन नहीं किया जायेगा। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमती है। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र सलग्र है।
xxii.	इस प्रस्ताव को 99 वर्षों के लिए अनुमति प्रदान की जायेगी, इसके उपरांत पुनः यह अनुमति भारत सरकार से प्राप्त करनी होगी। इस अनुमोदन के तहत diversion की अवधि प्रयोक्ता एजेंसी के पक्ष में दी जाने वाली lease की अवधि या परियोजना की अवधि, जो भी कम हो, के सह-समाप्ति होगी।	इस प्रस्ताव को 99 वर्षों के लिए अनुमति प्रदान है, इसके उपरांत पुनः यह अनुमति भारत सरकार द्वारा प्राप्त की जाएगी। इस अनुमोदन के तहत diversion की अवधि प्रयोक्ता एजेंसी के पक्ष में दी जाने वाली lease की अवधि या परियोजना की अवधि, जो भी कम हो, के सह-समाप्ति होगी। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमती है। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र सलग्र है।
xxiii.	अन्य कोई भी शर्त इस क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा वन तथा वन्य जीवों के संरक्षण, सुरक्षा तथा विकास हेतु समय समय पर लगाई जा सकती है।	अन्य कोई भी शर्त इस क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा वन तथा वन्य जीवों के संरक्षण, सुरक्षा तथा विकास हेतु समय समय पर लगाई जाएगी। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमती है। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र सलग्र है।
xxiv.	यदि कोई अन्य सम्बंधित अधिनियम/ अनुच्छेद/ नियम/ न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार की जिम्मेवारी होगी।	यदि कोई अन्य सम्बंधित अधिनियम/ अनुच्छेद/ नियम/ न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार की जिम्मेवारी होगी। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमती है। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र सलग्र है।
xxv.	इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 और वन (संरक्षण एवं संवर्धन) नियम, 2023 में उल्लेखित दिशानिर्देश 1.16 के अनुसार कार्यवाही की जाएगी।	इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लंघन यदि होगा व पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 और वन (संरक्षण एवं संवर्धन) नियम, 2023 में उल्लेखित दिशानिर्देश 1.16 के अनुसार कार्यवाही आवश्यक की जाएगी। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमती है। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र सलग्र है।

This is for your kind information and further necessary action please.

Deputy Conservator of Forests
Suket Forest Division
Sundernagar(H.P.)



Office of **DEPUTY CONSERVATOR OF FORESTS**
SUKET FOREST DIVISION; SUNDERNAGAR DISTT. MANDI (H.P.) 175002
PHONE & Fax 01907-267228 , e.mail - dfosuket123@gmail.com

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

Subject: -

Diversion of 1.8272 ha. of forest land in favour of HPPWD for the construction of link road Chowk to Sandoa via Dharjoi Ropri Dhar Kms 0/00 to 4/810, within the jurisdictions of Suket Forest Division, District Mandi, H.P

संदर्भ:-

भारत सरकार क्षेत्रीय कार्यालय ,चंडीगढ़ उप कार्यालय, शिमला / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय सी.जी.ओ. कॉम्प्लैक्स ,शिवालिक खंड, लौंगवुड शिमला, हिमाचल प्रदेश - 171001 के पत्र क्र० सं० 8बी /एच .पी. बी /06/22/2021/एफ. सी 1/75261 दिनांक 24-06-2024 .

क्र० सं	सैधान्तिक स्वीकृति की शर्त	मंजूर /नामंजूर
(B)	वे शर्तें, जिनका राज्य वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता एजेंसी को वन भूमि सौंपने के बाद फील्ड में कड़ाई से पालन करने की आवश्यकता हैं, परन्तु अंडरटेकिंग के रूप में अनुपालन स्टेज ॥ अनुमोदन-से पहले किया प्रस्तुत किया जाना है: -	
iv	प्रस्तावित CA land, यदि राज्य वन विभाग के नाम है, तो उससे संबंधित दस्तावेज, अन्यथा, IFA 1927 के अंतर्गत, RF/PF में अधिसूचित करा कर, ततसंबंधित दस्तावेज, विधिवत स्वीकृति के पहले प्रस्तुत किया जाएगा।	मंजूर


Deputy Conservator of Forest
Suket Forest Division
Sundernagar (H.P.)



Office of **DEPUTY CONSERVATOR OF FORESTS**
SUKET FOREST DIVISION; SUNDERNAGAR DISTT. MANDI (H.P.) 175002
PHONE & Fax 01907-267228 , e.mail - dfosuket123@gmail.com

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

Subject: -

Diversion of 1.8272 ha. of forest land in favour of HPPWD for the construction of link road Chowk to Sandoa via Dharjoi Ropri Dhar Kms 0/00 to 4/810, within the jurisdictions of Suket Forest Division, District Mandi, H.P

संदर्भ:-

भारत सरकार क्षेत्रीय कार्यालय ,चंडीगढ़ उप कार्यालय, शिमला / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय सी.जी.ओ. कॉम्प्लैक्स ,शिवालिक खंड, लौंगवुड शिमला, हिमाचल प्रदेश - 171001 के पत्र क्र० सं० 8बी /एच.पी. बी /06/22/2021/एफ. सी 1/75261 दिनांक 24-06-2024 .

क्र० सं	सैधान्तिक स्वीकृति की शर्त	मंजूर /नामंजूर
(B)	वे शर्तें, जिनका राज्य वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता एजेंसी को वन भूमि सौंपने के बाद फील्ड में कड़ाई से पालन करने की आवश्यकता है, परन्तु अंडरटेकिंग के रूप में अनुपालन स्टेज ॥ अनुमोदन-से पहले किया प्रस्तुत किया जाना है: -	
v.	राज्य सरकार वन भूमि को प्रयोक्ता एजेंसी को सौंपने से पहले FSI के ई-ग्रीन वॉच पोर्टल में प्रतिपूरक वन रोपण के लिए स्वीकृत degraded वन क्षेत्र की kml files को अपलोड करेगी।	मंजूर


Deputy Conservator of Forest
SuketForest Division
Sundernagar (H.P.)



Office of **DEPUTY CONSERVATOR OF FORESTS**
SUKET FOREST DIVISION; SUNDERNAGAR DISTT. MANDI (H.P.) 175002
PHONE & Fax 01907-267228 , e.mail - dfosuket123@gmail.com

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

Subject:-

Diversion of 1.8272 ha. of forest land in favour of HPPWD for the construction of link road Chowk to Sandoa via Dharjoi Ropri Dhar Kms 0/00 to 4/810, within the jurisdictions of Suket Forest Division, District Mandi, H.P

संदर्भ:-

भारत सरकार क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़ उप कार्यालय, शिमला / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय सी.जी.ओ. कॉम्प्लैक्स, शिवालिक खंड, लौंगवुड शिमला, हिमाचल प्रदेश - 171001 के पत्र क्र० सं० 8बी/एच.पी. बी/06/22/2021/एफ. सी 1/75261 दिनांक 24-06-2024 .

क्र० सं०	सैधान्तिक स्वीकृति की शर्त	मंजूर /नामंजूर
(B)	वे शर्तें, जिनका राज्य वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता एजेंसी को वन भूमि सौंपने के बाद फील्ड में कड़ाई से पालन करने की आवश्यकता हैं, परन्तु अंडरटेकिंग के रूप में अनुपालन स्टेज ॥ अनुमोदन-से पहले किया प्रस्तुत किया जाना है: -	
i.	वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।	मंजूर


Deputy Conservator of Forest
Suket Forest Division
Sundernagar (H.P.)



Department of Finance

E-CHALLAN
Government Of Himachal Pradesh

Treasuries, Accounts & Lotteries

Remitter Copy

Valid Upto

25-Nov-2024

HIMGRN

B24K111650

Date 19-11-2024 12:50:46PM

Department

Forest

BarCode



Period

19-11-2024 To 19-11-2024

DDO

MDI12-816- FOREST DIVISION SUKET(S.NAGAR)

Head

₹Amount

0406-01-800-18-OTHER MISCELLANEOUS RECEIPT

238936

Total/Net Amount

238936

In words

Two Lakh Thirty Eight Thousand Nine Hundred
Thirty Six

Payee Detail

Licence/Vehicle/Permit/TIN no.
OTHER MISCELLANEOUS RECEIPTS -

Remitter Name:-

Executive Engineer

Address:-

HPPWD Division Sarkaghat Mob:
9418129211

FOR USE IN RECEIVING BANK

Bank CIN No

HIMGRN

B24K111650

Amount

₹ 238936

Bank

MANAGER, PNB SARKAGHAT

Cheque-DD-No



Divisional Forest Officer
Suket Forest Division
Suket (H.P.) - 175018

NIC-HP

B24K111650

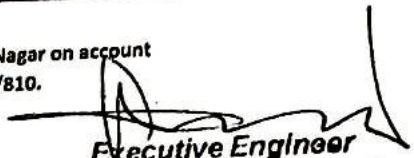
e-Challan (IFMS)

**(HPTTR-RTGS)
RTGS/NEFT ADVICE**

Treasury Code										M	D	1	1	2											
DDO SDO Description :										Executive Engineer, B & R Division, HPPWD Sarkaghat															
Pre-Assigned Token No. :										2	4	1	0	9	1	5	9	1	6	1	1	2	0	2	4
										Total Amount = Rs 238936															
To be directly credited to the following accounts :																									
Sr. No.	Name of Contractor / Supplier S/Sh.										Payee Code	IFSC Code of Bank	Bank Name	Account No.	Amount (Rs)										
1	Divisional Forest Officer Suket Forest Division Sunder Nagar Distt. Mandi HP													HIMGRN B24K109996	238936										
										Total															

Amount in words: **Rs. Two Lac Thirty Eight Thousand Nine Hundred Thirty Six) only**

It is certified that this payment is being made to Divisional Forest Officer Suket Forest Division Sunder Nagar on account of Forest Land for the construction of link road Chowk to Sandoa via Dharjole Rporl Dhar km. 0/0 to 4/810.


Executive Engineer
B & R Division
Sarkaghat

(Pay Order by DTO/To for NEFT/RTGS)

Received By:
HPTTR-RTGS

(To be filled in duplicate)

c/s


Divisional Forest Officer
Suket Forest Division
Sundernagar (H.P.) - 175002

RTGS/NEFT ADVICE

Amount in words: Rs.Thirty Two Lac Seventy Thousand Three Hundred Thirty Two) only

now to



B. R. Dives
(DDO Signature)

(To be filled in duplicate)

MUTR-RIGS

c/s

Divisional Forest Officer
Suket Forest Division
Sundernagar (H.P.) - 175018